Chap-7

सप्तम अध्याय

*

उपलब्ध सामग्री का शोधपूर्ण अध्ययन

इस अध्याय में शोधकर्ता ने प्राप्त सामग्री का विश्लेषण करके वास्तविक उपलब्धियों को प्रकाश में लाने की चेष्टा की है । प्राप्त सामग्री के आधार पर शोध कार्य के उद्देश्यों का अध्ययन निम्न प्रकार किया जाता है ।

I । आठवीं कक्षा के तेलुगु भाषी छात्रों के हिन्दी अधिगम संबंधी पर पड़नेवाले विभिन्न प्रभावों समस्याओं का अध्ययन :-

शोधकर्ता ने छात्रों के हिन्दी का स्तर जानने के लिए तीन वैज्ञानिक साधनों की सहायता ली है । उनमें से पहला साधन है अध्यापकों की प्रश्नावली दूसरा साधन छात्रों की उपलब्धि परीक्षण और तीसरा साधन छात्रों का मौखिक साक्षात्कार ।

छात्रों की भाषा उपलब्धि परीक्षण से यह विदित हुआ कि कुल 960 छात्रों ने कुल 15084 अंक प्राप्त किये हैं जिनका औसत प्रतिशत 15.71 है । आन्ध्र प्रदेश सरकार से निर्धारित हिन्दी प्रतिशत 20% से भी यह प्रतिशत कम है । कुल 262 पाठशालाओं से 177 अध्यापकों ने जिनका प्रतिशत 67.93 है । विश्लेषण सूची-8 में यह विचार प्रकट किया है कि अधिकतम पाठशालाएँ ग्रामों में स्थित होने के कारण छात्रों को हिन्दी पढ़ने की सुविधाएँ कम प्राप्त होती हैं । परंतु इस विषय पर 54.69 छात्रों ने मौखिक साक्षात्कार में यह विचार व्यक्त किया कि उन्हें हिन्दी सीखने की सभी सुविधाएँ प्राप्त होती है पर उन्हें हिन्दी विषय के प्रति रुचि नहीं है । इसका कारण यह है कि छात्रों के घरों में तेलुगु के बाद अंग्रेजी का भी वातावरण है । इससे यह स्पष्ट होता है कि छात्रों को हिन्दी सीखने की सभी सुविधाएँ प्राप्त होने परभी छात्रों की रुचि इस विषय में नहीं होने के कारण वे हिन्दी सीखना नहीं चाहते हैं ।

हिन्दी सीखने में छात्रों के माता-पिता के शैक्षणिक योग्यता का बुरा प्रभाव

किसी प्रकार से कारण नहीं बन सकता । कारण यह है कि छात्रों की साक्षात्कार सूची-4 के अनुसार अशिक्षित माता-पिता का प्रतिशत 15·63 है । कुल परिचयन (Sampling) 320 में से 270 छात्रों के माता-पिता शिक्षित हैं । माता-पिता की आर्थिक स्थिति को दृष्टि में रखकर भी यह नहीं बताया जा सकता है कि छात्रों की आर्थिक स्थिति निम्न होने के कारण छात्रों को हिन्दी सीखने की सुविधाएँ नहीं मिलती हैं । क्योंकि कुल 320 परिचयन संख्या में 153 छात्रों के माता-पिता या संरक्षकों की आर्थिक स्थिति साधारण है । 8 वीं कक्षा के इन छात्रों को हिन्दी पढ़ने की सभी सुविधाएँ होने पर भी वे हिन्दी सीखने में कठिनाईयों का अनुभव कर रहे हैं । मौखिक साक्षात्कार सूची संख्या - 17 में 50·62 प्रतिशत छात्रों ने इस उद्देश्य को प्रकट किया है ।

हिन्दी अध्यापकों ने प्रश्न विश्लेषण संख्या - 32 में यह विचार प्रकट किया है कि छात्रों को हिन्दी सीखने के प्रति रुचि नहीं है । इन अध्यापकों का प्रतिशत 61·45 हैं । प्रश्न संख्या 81 के अनुसार 62·98 अध्यापकों का कहना है कि हिन्दी का शिक्षण पाँचवी कक्षा से न होकर आन्ध्र प्रान्त में 6 वीं कक्षा से प्रारंभ होता है और 6 वीं कक्षा की हिन्दी पुस्तक के साथ-साथ छात्रों को पाँचवी कक्षा की पुस्तक पढ़ाई जाती है । इसलिए छात्रों पर विषय का भार अधिक होने के कारण वे हिन्दी के आधारभूत ज्ञान प्राप्त करने में विफल होते हैं । प्रश्न विश्लेषण संख्या-98 में 74·05 प्रतिशत अध्यापकों का कहना है कि प्रारंभिक कक्षाओं में हिंदी शिक्षण दोषपूर्ण होने के कारण 8 वीं कक्षा के स्तर पर छात्र भाषा के मूल सिद्धान्तों से परिचय प्राप्त नहीं करने के कारण वे हिन्दी में कमज़ोर हैं । प्रशासन की दृष्टि से भी यह कहा जा सकता है कि तेलुगु छात्रों को हिन्दी द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती हैं । सप्ताह में केवल 3 घंटे होते हैं । सूची संख्या-22 के आधार से बहुसंख्यक अध्यापकों का कहना है कि भाषा निरंतर प्रयत्न तथा प्रयास से आत्मसात

की जाती है । केवल दो या तीन घंटों की शिक्षणावधि में छात्र भाषा को समझने में विफल हो जाते हैं । इसके अतिरिक्त जिला परिषद् हाईस्कूलों के प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण छात्र विषय के प्रति कम अवधान (Attention) देते हैं जिसका फलस्वरूप छात्र हिन्दी विषयवस्तु को समझ नहीं सकते हैं । यह उनका स्तर निम्न होने का एक कारण बन जाता है ।

प्रश्न विश्लेषण संख्या-7। में 46·95 अध्यापक यह मानते हैं आन्ध्र प्रदेश में हिन्दी द्वितीय भाषा के होने के नाते आन्ध्र प्रान्त में पढ़नेवाले छात्रों को इससे कोई लाभ नहीं होता हैं । इससे यह स्पष्ट होता है कि अध्यापक स्वयं हिन्दी सीखाने में प्रयोजन का आधार प्राप्त नहीं करते हैं । इससे अध्यापक छात्रों को हिन्दी का शिक्षण मनःपूर्वक नहीं देते हैं । इसका प्रभाव यह होता है कि छात्र भी हिन्दी सीखने के प्रति ध्यान नहीं देते हैं ।

प्रशासन की दृष्टि से यह ठीक ही जाँचता है कि एस0 एस0 सी0 में हिन्दी विषय अनिवार्य होने पर ही हिन्दी के प्राप्तांकों को कुल अंकों में नहीं मिलाया जाता हैं । और छात्रों को कम से कम 20% प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होता है । इससे छात्र केवल 20% प्रतिशत अंक प्राप्त करने के लिए ही अ- हिन्दी पढ़ते हैं । अधिक अंक प्राप्त करने पर भी उन अंकों को कुल योग अंकों में नहीं मिलाया जाता है । इसका प्रभाव यह होता है कि निम्न कक्षाओं के छात्र हिन्दी पढ़ने में ध्यान नहीं देते हैं ।

अध्यापकों ने प्रश्न-44 के विश्लेषण में 53·44 प्रतिशत यह विचार प्रकट किया है कि पाठ्यक्रम दोषपूर्ण होने के कारण छात्रों को हिन्दी में संभावित स्तर प्राप्त नहीं हुआ । इस मत के अनुसार 50·62 छात्रों ने साक्षात्कार प्रश्न संख्या-17 में हिन्दी सीखना कठिन कहा है परंतु प्रश्न-24 के विश्लेषण में 67·50 छात्रों ने

पाठ्यक्रम को सरल माना है । इससे यह स्पष्ट होता है कि छात्रों को हिन्दी सीखने के उद्देश्यों का ज्ञान नहीं है । यह ठीक भी है कि हिन्दी पाठ्यपुस्तक के प्रारंभ में हिन्दी ~~पाठ्यक्रम~~ पाठ्यक्रम का निर्देश होना आवश्यक है । ताकि छात्रों को यह मालूम हो जाए कि हिन्दी भाषा किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सीख रहे हैं ।

आठवीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक का स्तर ऊँचा रहने के पक्ष में 62·60 प्रतिशत अध्यापकों ने प्रश्न के विश्लेषण संख्या-52 में अपना विचार प्रकट किया है । छात्रों ने भी साक्षात्कार विवरण सूची-25 में 53·13 प्रतिशत मत देकर इसकी समर्थन किया है ।

प्रत्येक हाईस्कूल में एक हिन्दी पंडित न होने के कारण अन्य शिक्षकों से हिन्दी पढ़ाने के लिए कहा जाता है । इससे छात्रों के हिन्दी का स्तर नीचा (निम्न) हो जाता है । इस मत को 98·48 अध्यापकों ने प्रश्न विश्लेषण संख्या-124 में स्वीकार किया है ।

प्रश्न विश्लेषण संख्या 43 के अनुसार 72·90 प्रतिशत अध्यापकों ने यह मत प्रकट किया है कि ~~आठवीं~~ सातवीं कक्षा में अनुत्तिर्ण होने पर भी प्रश्न विश्लेषण संख्या-21 के अनुसार 75% कक्षा उपस्थिति के आधार पर छात्रों को आठवीं कक्षा में बिठाते (बिठाते) हैं । उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आठवीं कक्षा के छात्रों का हिन्दी स्तर निम्न होने के ये कारण प्रधान माने जाते हैं :

2 हिन्दी के प्रति सरकार के दृष्टिकोण का अध्ययन :

इस शोध कार्य में छात्रों के हिन्दी अध्ययन संबंधी समस्याओं का अध्ययन करते समय शोधकर्ता के सामने कुछ ऐसी समस्याएँ आई जिनका संबंध भाषा समस्या एवं सरकार की भाषा संबंधी नीति से है अतः शोधकर्ता ने यह जानने का

प्रयत्न किया है कि हिन्दी के प्रति सरकार का दृष्टिकोण कैसा है ?

प्रथम शोधकर्ता ने हिन्दी अध्यापकों के द्वारा इस समस्या का समाधान प्राप्त करने का प्रयत्न किया । प्रश्न -25 के विश्लेषण सूची के आधार पर 62·21 प्रतिशत अध्यापकों ने यह विचार प्रकट किया है कि भारत में हिन्दी को राष्ट्रभाषा का सही स्थान प्राप्त नहीं हुआ है । व्यावहारिक रूप में हिन्दी के संपर्क भाषा का स्थान ही प्राप्त नहीं है । संविधान में हिन्दी को संपर्क भाषा का स्थान देने पर भी सरकारी कार्यालय न्यायालय, एवं शैक्षणिक वातावरण हिन्दी के पक्ष में न होने के कारण हिन्दी को व्यावहारिक दृष्टि से संपर्क भाषा का स्थान प्राप्त नहीं हुआ । इस मत का समर्थन प्रश्न-26 के विश्लेषण में 42·37 प्रतिशत अध्यापकों ने किया ।

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने हिन्दी का शिक्षण अनिवार्य इसलिए नहीं बनाया है कि दक्षिण के सभी प्रान्तीय सरकार हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करके अनिवार्य बनाने के पक्ष में नहीं है । इस मत को 70·61 प्रतिशत अध्यापकों ने प्रकट किया है । विश्लेषण सूची -30 के अनुसार हिन्दी का अध्ययन शिक्षा के हर स्तर पर अनिवार्य नहीं है । इसका यह भी एक कारण है कि संविधान में अहिन्दी प्रान्तों की जनता को यह आश्वासन दिया गया है कि जब तक वे हिन्दी को सीखना नहीं चाहेंगे तब तक उसको उनके सिर पर नहीं लादा जायेगा । इस उत्तर का समर्थन प्रश्न विश्लेषण संख्या 77 में 66·79 प्रतिशत अध्यापकों ने किया है । इस दृष्टि से आन्ध्र प्रदेश में हिन्दी को अनिवार्य बनाना कठिन कार्य है ।

इसलिए सरकार हिन्दी का प्रचार एवं प्रसार प्रान्त का विषय न मानकर केन्द्र का विषय मानती है । हिन्दी के प्रचार के लिए सरकार

कोई विशेष बजट भी नहीं बनाती । इस मत का समर्थन विश्लेषण संख्या-69 में 79·54 प्रतिशत अध्यापकों ने किया है । इतना ही नहीं हिन्दी अध्यापकों का वेतन केन्द्रीय सरकार के अनुदान पर ही मिलता है । प्रान्तीय सरकार इसका भार अन्य विषयों के भार की तुलना में बहुत ही कम लेती है । इससे स्पष्ट होता है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार की दृष्टि में हिन्दी एक अप्रमुख विषय माना जाता है ।

3 हिन्दी के प्रति प्रशासन संबंधी दृष्टिकोण का अध्ययन :

हिन्दी अध्ययन में छात्रों के सामने जो बाधाएँ आती हैं उनमें प्रशासन की हिन्दी विरोधी नीतियाँ भी शामिल है । भाषा नीति के संबंध में तो आन्ध्र प्रदेश सरकार की नीति स्पष्ट ही है । जिसका विश्लेषण संख्या-28 के अनुसार 48·47 प्रतिशत हिन्दी अध्यापकों ने इस बात को मान लिया है परन्तु अनायास ही शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के हिन्दी विरोधी दृष्टिकोण के कारण कुछ निर्णय या कार्य ऐसे हैं जिनका प्रभाव हिन्दी के अध्यापन एवं अध्ययन पर प्रतिकूल रहा है ।

अन्य विषयों के अध्यापकों के समान हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति होती है उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं है । प्रायः योग्यता के प्रमाण - पत्रों को देखकर अध्यापकों की नियुक्ति कर दी जाती है । विभिन्न हिन्दी संस्थाओं के प्रमाण-पत्रों को आन्ध्र प्रदेश सरकार ने मान्यता दी है । इन अध्यापकों की नियुक्ति नियमानुसार होती है परन्तु इन संस्थाओं से आयोजित परीक्षाओं का स्तर विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के समकक्ष होने पर भी इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण अधिकांश अध्यापकों का स्तर भाषा, साहित्य तथा साधारण ज्ञान की दृष्टि से कम होना छात्रों के भाषा अध्ययन में कमज़ोर होने का एक

कारण बन सकता है । इन अध्यापकों की विश्लेषण संख्या -10, 11 के अनुसार संस्थाओं से संचालित शैक्षणिक एवं साहित्यिक योग्यता रखनेवाले अध्यापक ही अधिक है जिनका प्रतिशत ~~63×63×6~~ 63·36 तथा 46·56 है । इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार के हिन्दी अध्यापकों की नियुक्तियों में परिवर्तन की आवश्यकता है । इसीलिए सरकार को इस सम्बन्ध में प्रशासन की नीति पर विचार करना चाहिए ।

अध्यापकों के विश्लेषण उत्तर संख्या-22 में कुल प्रतिशत 35·50 अध्यापकों ने यह विचार प्रकट किया है कि द्वितीय भाषा हिन्दी शिक्षण के लिए सरकार ने केवल 3 अन्तरों (पीरियड्स) का निर्धारण किया है । इन तीन अन्तरों में अध्यापक गृह-कार्य, संशोधन और हिन्दी की सहगामी क्रियाओं के आयोजन में वह बिलकुल व्यस्त रहता है । उसका पूरा ध्यान पाठ्यक्रम और पाठ्य-पुस्तक के समाप्त करने पर ही केन्द्रित होता है । सरकार की इस नीति का परिणाम यह भी होता है कि अध्यापक पाठ्यक्रम की पूर्ति में जितना ध्यान देता है उतना भाषा शिक्षण की ओर नहीं दे पाता है ।

आन्ध्र प्रदेश सरकार की एक विज्ञप्ति जी · ओ · एम · एस · 626 एजुकेशन, दि · 9 -8-1973 के अनुसार एस · एस · सी परीक्षा के योगांकों में हिन्दी के अंकों को सम्मिलित नहीं किया जाता है । परन्तु इस परीक्षा में बीस प्रतिशत अंक प्राप्त करना अपेक्षित है । इससे अध्यापक तथा बालक हिन्दी भाषा के अध्यापन तथा अध्ययन से उदासीन रहते हैं । इस विज्ञप्ति के व्यावहारिक पक्ष के अनुसार हिन्दी पढ़ना और पढ़ाना दोनों भी महत्वहीन कार्य है । अध्यापकों को हिन्दी न पढ़ाने पर भी वेतन मिल जाता है और बिना पढे ही छात्रोंके अंक मिल जाते हैं । इस विज्ञप्ति का मानसिक प्रभाव तो यही होता है ।

इसके अतिरिक्त आन्ध्र प्रदेश सरकार कक्षा की संख्या पर कोई पाबंदी या नियमों का पालन नहीं कर रही है । हाईस्कूल के कक्षाओं में 70 तथा 80 तक भी छात्र होते हैं । व्यक्तिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण छात्र कक्षा में अनुशासन को भंग करने का प्रयत्न करते हैं । विश्लेषण संख्या-82 में 53·82 प्रतिशत अध्यापकों ने यह मत प्रकट किया है कि कक्षा की संख्या अधिक होने के कारण वे छात्रों के अवधान (Attention) को पाठ की ओर ले जाने में विफल होते हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं है । इसमें सरकार की संख्या सम्बन्धी नीति का पालन सही न होने का कारण निहित है । बहुसंख्यक छात्रों को पढ़ाने में अध्यापक को निर्दिष्ट उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करने की कम संभावना होती है और वह छात्रों के भाषा ज्ञान सम्बन्धी मूल्यांकन भी ठीक तरह नहीं कर पाता है ।

आन्ध्र प्रान्त के पाठशालाओं के पुस्तकालयों में प्रायः हिन्दी की पुस्तकें एवं पत्र-पत्रिकाएँ प्राप्य नहीं है । इनकी ओर सरकार का ध्यान नहीं है । स्कूलों के प्रधानाध्यापक एवं प्रशासक दोनों भी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं । इस शोध कार्य की विश्लेषण सूची-17 में 80·92 प्रतिशत अध्यापकों ने यह मत प्रकट किया है कि पाठशालाओं में हिन्दी की पत्र-पत्रिकाएँ उपलब्ध नहीं है । इसके अतिरिक्त 73·28 प्रतिशत अध्यापकों ने विश्लेषण-सूची-66 में बताया है कि हिन्दी अध्यापकों के लिए पाठशालाओं में संदर्भ-ग्रन्थ प्राप्त नहीं है । जिनका परिणाम यह होता है कि अध्यापक स्वयं अपनी शंकाओं को दूर नहीं कर पाते हैं उससे छात्रों को भाषा-सम्बन्धी सही ज्ञान प्राप्त नहीं होता है । अधिकारियों की इस भाषा नीति एवं उदासीनता छात्र तथा छात्राओं के लिए अनुकरणीय बन जाती है और इसका परिणाम हिन्दी अध्यापन तथा अध्ययन पर प्रतिकूल रूप से प्रतिबिम्बित होता है ।

आन्ध्र प्रान्त में अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए सेन्ट्रल इन्सटिट्यूट आफ इंग्लिश है जिसमें अंग्रेजी भाषा को वैज्ञानिक रूप से सीखने के लिए भाषा प्रयोगशाला की व्यवस्था है और प्रान्तीय भाषा तेलुगु सीखने के लिए भी भाषा प्रयोगशाला उपलब्ध है परन्तु राष्ट्रभाषा हिन्दी के अध्ययन और वैज्ञानिक शिक्षण की ओर सरकार का ध्यान न जाना या प्रयत्न न करना दुखदायी बात है ।

शिक्षा के विविध अंशों पर शोधकार्य करने के लिए आन्ध्र प्रदेश में एस • सी • इ • आर • टी • (SCERT) जैसी सरकारी संस्था है । खेद के साथ कहना पडता है कि इस संस्था में हिन्दी का कोई विभाग नहीं है । विश्लेषण संख्या-66 में 73·28 प्रतिशत हिन्दी अध्यापकों ने यह अनुभव किया है कि हिन्दी निरीक्षाधिकारियों के अभाव में हिन्दी अध्यापकों को सही मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता है इसके कारण अध्यापक छात्रों को भाषा का ज्ञान, नवीन शिक्षण पद्धतियों अथवा टेकनीकों के द्वारा नहीं दे सकता है । एस • सी • इ • आर • टी • में हिन्दी के विशेषज्ञों को छोड़कर सभी विषयों की नियुक्ति हुई है । इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हिन्दी शिक्षण तथा अध्यापन की ओर सरकार की भाषागत दृष्टिकोण ठीक नहीं है ।

इसके अतिरिक्त उस्मानियाँ विश्वविद्यालय के अंतर्गत चलनेवाले प्रशिक्षण महाविद्यालय में आजतक हिन्दी प्राध्यापक की नियुक्ति नहीं हुई, तथापि वहाँ हिन्दी में छात्रों को प्रशिक्षित किया जाता है । यह एक विडम्बना नहीं तो और क्या है ? छात्र प्राध्यापक के बिना ही परीक्षा की तयारी कर लेतेम हैं ।

प्रशासन तथा कालेज आफ एजुकेशन उस्मानिया विश्वविद्यालय के एक्सटेन्शन विभाग (एक्सटेंशन डिपार्टमेंट) की ओर से प्रतिवर्ष सभी विषयों

को आधार बनाकर सेमिनार या वर्कशाप आदि का आयोजन होता है । यहाँ अध्यापकों को विभिन्न विषयों में नवीन विचारधाराओं एवं कार्य-विधियों से परिचय करवाया जाता है । खेद से लिखना पड़ता है कि इस प्रकार का आयोजन हिन्दी विषय के लिए नहीं किया जाता है । उत्साही शोधकर्ताओं को यहाँ प्रोत्साहन तथा सुविधायें प्राप्त नहीं होना सरकार की प्रशासन सम्बन्धी दृष्टिकोण का परिचायक है ।

4 हिन्दी के प्रति छात्रों के दृष्टिकोण का अध्ययन :

आन्ध्र प्रान्त के छात्रों को हिन्दी सीखने से प्रयोजन होने के संबंध में हिन्दी अध्यापकों ने विश्लेषण सूची-31 में अपना विचार प्रकट किया है । 87.79 प्रतिशत अध्यापकों का कहना है कि किसी भी अन्य भाषा में व्यक्ति अपने विचारों का आदान-प्रदान करने से विशेष प्रयोजन तो होता ही है । उसी प्रकार हिंदी के सीखने से भी प्रयोजन होता है परन्तु उनका कहना है कि आन्ध्र प्रदेश में हिन्दी द्वितीय भाषा के रूप में पढाई जाती है, तो छात्रों को इस भाषा के अध्ययन से विशेष लाभ नहीं पहुँचता है । इस मत का समर्थन विश्लेषण सूची-17 में 46.95 प्रतिशत अध्यापकों ने किया है । अध्यापकों का मत है कि छात्रों को हिन्दी का शिक्षण प्रतिदिन देना चाहिए ।

शोधकर्ता ने इस विषय को दृष्टि में रखकर जब छात्रों का मौखिक साक्षात्कार किया तब छात्रों के साक्षात्कार विवरण सूची,-10 से यह पता चलता है कि छात्र अपनी मातृभाषा को सीखना ही अधिक पसंद करते हैं । मातृभाषा के बाद छात्रों का प्रिय विषय समाजशास्त्र है । तेलुगु प्रिय विषय बतानेवाले छात्रों का प्रतिशत 53.12 है । इससे यह मालूम होता है कि छात्र हिन्दी को अप्रमुख विषय के रूप में अध्ययन करते हैं । हिन्दी को एक विषय के रूप में

पढ़ना चाहते हैं परन्तु उसमें छात्र रुचि नहीं रखते हैं । इस उद्देश्य को 61·56 प्रतिशत छात्रों ने उनके मौखिक साक्षात्कार विवरण सूची-11 में अपना विचार प्रकट किया है । इन छात्रों का कहना है कि उन्हें हिन्दी सीखने का प्रोत्साहन उनके माता-पिता तथा हिन्दी अध्यापक से प्राप्त होता है और छात्र केन्द्रीय सरकार से संबंधित कार्यालयों में नौकरी प्राप्त करने के उद्देश्य से हिन्दी सीखना चाहते हैं । साक्षात्कार उत्तर संख्या-19 में 46·88 प्रतिशत छात्रों ने इस विचार को प्रकट किया है । इसके साथ-साथ 45% प्रतिशत छात्रों ने साक्षात्कार उत्तर संख्या-20 में यह भी कहा है कि हिन्दी के ज्ञान से दूसरी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना आसान हो जाता है ।

इतनी सुविधाएँ तथा प्रोत्साहन प्राप्त करते हुए भी आन्ध्र प्रान्त में छात्र हिन्दी सीखना नहीं चाहते हैं । 8वीं कक्षा की भाषा उपलब्धि परीणाम से यह स्पष्ट होता है कि छात्रों का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत केवल 15·71 है ।

छात्रों का यह उत्तीर्ण प्रतिशत तथा हिन्दी के प्रति उनकी उदासीनता को दृष्टि में रखकर सोचने से यह पता चलता है कि इसका सम्बन्ध केवल एक तथ्य से न होकर विभिन्न कारण उनके दृष्टिकोण को इस रूप में बदलने में सहायक हुए हैं ।

शोधकर्ता का यह मत है कि छात्रों के घरों में तेलुगु के बाद अंग्रेजी का ही वातावरण है इसको साक्षात्कार विवरण सूची-12 में 50·32 प्रतिशत छात्रों ने अपने विचार के द्वारा स्पष्ट किया है । छात्रों ने साक्षात्कार विवरण सूची-17 में यह भी बताया है कि हिन्दी सीखना उनके लिए सरल नहीं है । इन उत्तरदाताओं का प्रतिशत 50·62 है । छात्रों के इस दृष्टिकोण का कारण सरकार की भाषा-नीति, भाषा सीखने से संबंधित कठिनाइयों तथा इससे संबंधित साधनों पर आधारित है । इन पर आगामी पृष्ठों पर विचार किया जायेगा ।

5 आन्ध्र प्रान्त के छात्रों के हिन्दी वातावरण समस्या का अध्ययन :

किसी भी भाषा को सीखते समय उचित एवं अनुकूल वातावरण का होना अनिवार्य है, अन्यथा भाषा अध्ययन में दोष आ जाते हैं और सीखने की अवधि बढ़ जाती है । अध्यापकों और छात्रों को केवल 40-45 मिनट के अन्तर में ही हिन्दी शिक्षण कार्य जटिल मालूम होता है । कक्षा की कृत्रिमता पूर्ण वातावरण की अपेक्षा कक्षा के बाहर प्राप्त हिन्दी का वातावरण भाषा अध्ययन में बहुत सहायक मालूम होता है । इस वातावरण को कई बार बनाना पड़ता है । सहज वातावरण न मिलने पर और न बनाये जा सकने के कारण भाषा में अनेक दोष आ सकते हैं । उदाहरण के लिए उच्चारण दोष, वाक्य दोष, अर्थ दोष आदि आ जाते हैं । हिन्दी भाषा सीखते समय छात्रों पर किस किसका प्रभाव पड़ता है यह विचारणीय विषय है ।

आन्ध्र प्रान्त के पाठशालाओं में हिन्दी का वातावरण नहीं मिलता है । छात्रों का शैक्षिक माध्यम तेलुगु होने के कारण उनका दैनंदिन कार्यक्रम तथा बातचीत तेलुगु के माध्यम से ही होता है । इस शोधकार्य के विश्लेषण संख्या-8। के अनुसार 62•98 प्रतिशत अध्यापकों ने कहा कि छात्रों को हिन्दी का उचित वातावरण प्राप्त न होने के कारण हिन्दी 6 वीं कक्षा से प्रारंभ न किया जाए और इसके समर्थन में 63•36 प्रतिशत अध्यापकों ने विश्लेषण संख्या-72 में कहा है कि हिन्दी के वातावरण के अभाव में छात्र हिन्दी में कमज़ोर हैं । यह भी चर्चा के दृष्टि से एक महत्वपूर्ण विषय है । आन्ध्र प्रान्त में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा तेलुगु है । छात्र पूरे विषयों का अध्ययन तेलुगु तथा अंग्रेजी वातावरण के आवरण में ही करते हैं । छात्र पूरे विषयों का अध्ययन तेलुगु तथा अंग्रेजी वातावरण के आवरण में ही करते हैं । छात्र हिन्दी की शिक्षा द्वितीय भाषा के रूप में सप्ताह में तीन घंटे ही प्राप्त करते हैं । इसके छात्रों को भाषा का सहज वातावरण प्राप्त नहीं होता है ।

इसके अतिरिक्त शैक्षणिक वातावरण भी हिन्दी के अनुकूल नहीं है । अध्यापकों ने इसका समर्थन उत्तर विश्लेषण संख्या-29 में किया है । उनका प्रतिशत 51·52 है ।

छात्रों के साक्षात्कार विवरण सूची-22 में 50·31 प्रतिशत छात्रों का कहना है कि उनको हिन्दी का वातावरण प्राप्य नहीं है । उनके घरों में तेलुगु के अतिरिक्त अंग्रेजी का भी वातावरण बनाये रहता है । इसका प्रभाव यह होता है कि छात्रों को हिन्दी ध्वनियों को सुनने का मौका नहीं मिलता है । किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए उस भाषा की ध्वनियों से परिचय प्राप्त करना आवश्यक होता है । आन्ध्र प्रान्त के छात्रों को इन ध्वनियों का परिचय कम प्राप्त होने के कारण उनसे उच्चारण, वाक्य दोष तथा अर्थदोष आदि होते हैं ।

इसके बाद छात्रों के साक्षात्कार विवरण सूची-30 में 60·62 प्रतिशत छात्रों का कहना है कि हिन्दी अध्यापक कक्षा में हिन्दी का शिक्षण तेलुगु माध्यम से देते हैं । जब 8 वीं कक्षा के छात्र हिन्दी को तेलुगु माध्यम के द्वारा सीखते हैं तो छात्रों को हिन्दी सुनने का मौका नहीं मिलता है और वे हिन्दी के वातावरण से बिलकुल वंचित होते हैं ।

भाषा की दृष्टि से इसका प्रभाव बहुत बुरा पड़ता है । छात्रों की बातचीत करने का अभ्यास नहीं होता है दूसरे अर्थ में अपनी अभिव्यक्ति शक्ति को खो बैठते हैं । छात्रों को हिन्दी ध्वनियों से कम परिचय प्राप्त होता है । इसका भाषा अध्ययन पर यह परिणाम होता है कि छात्रों से उच्चारण, वाक्य रचना एवं भाव प्रकाशन में गलतियाँ होती हैं ।

अध्यापकों के प्रश्न विश्लेषण संख्या-17 के अनुसार 80·92 प्रतिशत अध्यापकों का यह मत है कि पाठशालाओं में हिन्दी की पत्र-पत्रिकाएँ उपलब्ध नहीं होती हैं । जिसका प्रभाव यह होता है कि छात्रों को हिन्दी का पत्र-पत्रिकाओं को पढ़ने का मौका नहीं मिलता है । इससे छात्रों को हिन्दी वातावरण से दूर रहना पड़ता है ।

इस प्रकार भाषा सीखने में वातावरण का विशेष स्थान है । सहज वातावरण में भाषा नैसर्गिक रूप से सीखी जा सकती है इसलिए अध्यापक द्वितीय भाषा के छात्रों को कृत्रिम वातावरण को जन्म देकर हिन्दी भाषा का सही ज्ञान देने में प्रयत्नशील होना चाहिए ।

******

II. 8 वीं कक्षा के छात्रों के भाषा अधिगम संबंधी समस्याओं का अध्ययन :

प्रारंभ में अन्य भाषा तथा द्वितीय भाषा शिक्षक का मुख्य उद्देश्य भाषा का अधिगम करवाना होता है । छात्रों को प्रसन्न करना या उनका मनोरंजन करना भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है । अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि जो कथाएँ मनोरंजन की होती हैं वे सामान्यतः प्रभावशाली नहीं होती है । किसी नई दवाई को बनाते समय उसके स्वाद की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है परन्तु उसके प्रभाव की ओर ही सारा ध्यान केन्द्रित किया जाता है । दवाई एक बार प्रभावकारी सिद्ध हो जाने के बाद ही उसे स्वादिष्ट बनाने की ओर ध्यान दिया जाता है ।

भाषा अधिगम की वैज्ञानिक विधि में भी रोचकता या मनोरंजन की तुलना में प्रारंभ में भाषा अधिगम को अधिक महत्व दिया जता है । अतः आरंभ में अध्यापक का मुख्य उद्देश्य भाषा अधिगम करवाना ही होना चाहिए ।

अन्य भाषा शिक्षण के नाम पर प्रायः उस भाषा के साहित्य की शिक्षा दी जाती है । किसी भाषा के साहित्य का महत्व अप्रतिम है, इसमें कोई संदेह नहीं है किन्तु भाषा शिक्षण एक अलग विषय है । साहित्य के बारे में ज्ञान देना अलग बात है । साहित्य के लिए भाषा की कमी अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए । इसके अतिरिक्त भाषा शिक्षण में भाषा की ही शिक्षा दी जानी चाहिए, साहित्य की नहीं । साहित्य की शिक्षा इसी सीमा तक दी जा सकती हैजहाँ तक विद्यार्थी के भाषा ज्ञान में सहायक हो ।

भाषा का अधिगम अनुकरण द्वारा होता है और यह अनुकरण सतत

अभ्यास से स्थायी होता है । अतः भाषा प्रयोग एक कौशल है । निरंतर अभ्यास से ही छात्र भाषा सीखते हैं । सामाजिक व्यवहार में छात्र भाषा सीखते हैं इसलिए जिस समाज में अमुक भाषा का प्रयोग जितना अधिक होता है उस समाज के छात्र उस भाषा को जल्दी सीख लेते हैं क्योंकि छात्रों पर समाज का पूरा पूरा प्रभाव रहता है । भाषा केवल ज्ञान की वस्तु नहीं, अपितु कौशल की वस्तु है यह ज्ञान गम्य न होकर अभ्यासजन्य है ।

भाषा-शिक्षण का उद्देश्य छात्रों में सुनने, बोलने, पढ़ने तथा लिखने की क्षमता प्रदान करना है । उसके लिए व्याकरण सीखना जरूरी नहीं है । पहले भाषा सिखाने के लिए व्याकरण पढ़ाया जाता था, वह एक स्थूल विधि थी । भाषा की आदत अभ्यास से पड़ती है । सुनने, बोलने, पढ़ने तथा लिखने का जितना अधिक अभ्यास छात्रों को होगा उतना अधिक भाषा पर अधिकार भी होगा । भाषा सीखना वास्तव में आदत का निर्माण करना है गलत आदत पड़ जाने पर उसे जल्दी दूर करना कठिन हो जाता है ।

इसकी चर्चा यहाँ पर इसीलिए आवश्यक है कि आन्ध्र के छात्रों पर भाषा अधिगम संबंधी कौन कौन से प्रभाव हैं इनको जानना आवश्यक है । इन प्रभावों को दृष्टि में रखकर छात्रों की कठिनाइयों की आलोचना की जा सकती है ।

आन्ध्र प्रान्त का वातावरण तेलुगु का है । प्रान्तीय भाषा तेलुगु होने के कारण छात्रों के कानों पर तेलुगु की ध्वनियों का संस्कार अधिक है । आन्ध्र के छात्र तेलुगु को प्रथम भाषा के रूप में और हिन्दी को द्वितीय भाषाके रूप में पढ़ते हैं । वास्तव में देखा जाए तो तेलुगु के छात्रों को हिन्दी सीखाने के लिए हिन्दी का कृत्रिम वातावरण का निर्माण करना पड़ता है । कतिपय भाषा

वैज्ञानिकों का कहना है कि भाषा का कृत्रिम वातावरण कभी भी सहज वातावरण नहीं बन सकता है अ= फिर भी द्वितीय भाषा सीखाने के परिपेक्ष में इस वातावरण को जन्म देना अत्यंत आवश्यक है ।

अध्यापक मातृभाषा सिखाते समय पहले बोलना, पढ़ना और लिखना इस क्रम को अपनाता है । यह क्रम स्वाभाविक है । द्वितीय भाषा हिन्दी को सिखाते समय सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना होता है । व मातृभाषा में पहले बोलने और बाद में पढ़ने का क्रम उपयोगी होता है और द्वितीय भाषा सिखाते समय पहले सुनने और बाद में बोलने का अभ्यास कराना लाभदायक होता है । क्योंकि छात्र को नयी भाषा क सुनने का अवसर केवल कक्षा में ही, वह भी कुछ ही समय तक मिलता मिलता है । इसलिए भाषा की बुनियादे कमज़ोर होती हैं ।

(।) भाषा शिक्षण के आरंभ की समस्या का अध्ययन :

द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी भाषा की शिक्षा किस कक्षा से प्रारंभ की जाए यह एक समस्या है । द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी शिक्षण कहीं पाँचवी कक्षा से दी जाती है और तो कहीं 6 वीं कक्षा से और कहीं 8 वीं कक्षा से । बम्बई में पाँचवी कक्षा से हिन्दी अनिवार्य है । बंगाल और आसाम में भी हिन्दी की शिक्षा पाँचवी कक्षा से आरंभ की जाती है परंतु अनिवार्य विषय के रूप में नहीं है, वरन् ऐच्छिक विषय के रूप में । मद्रास, आन्ध्र और काश्मीर में छठवीं कक्षा से ऐच्छिक विषय के रूप में शुरू क की जाती है । केरल में आठवीं से हिन्दी अनिवार्य है । मैसूर में नौवी व से हिन्दी ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है । विश्वविद्यालयों में हिन्दी सब जगह ऐच्छिक व विषय है । लेकिन स्तर एक समान नहीं है ।

हिन्दी भाषी प्रदेशों में हिन्दी का जो स्तर होगा वह अहिन्दी भाषी प्रदेशों की हिन्दी का नहीं हो सकता । इ मातृभाषा के रूप में हिन्दी का स्तर ऊँचा होगा और द्वितीय भाषा के रूप में अपेक्षाकृत कम । साधारणतः अहिन्दी भाषी प्रदेशों में पाँचवी अथवा छठीं कक्षा क से हिन्दी पढ़ना आरंभ किया जाता है । इसके विपरीत मातृभाषा के रूप में हिन्दी सिखाना पहली कक्षा से ही प्रारंभ कर दिया जाता है । माध्यमिक स्तर तक पहुँचते पहुँचते छात्रों को हिन्दी भाषा के प्रारंभिक कौशलों का ज्ञान होता है और आठवीं कक्षा में भाषा के साहित्यिक रूप आरंभ हो जाता है । इस पर कैनेडा के नाडी विशेषज्ञ विलण्डरपेन फील्ड ने आकाशवाणी देहली से प्रसारित अपने भाषण में अनेक प्रयोगों, युक्तियों और अनुभवों द्वारा यह प्रमाणित किया है कि दस वर्ष की अवस्था से पहले अनेक भाषाएँ सीखने में जो नैसर्गिक सुविधा रहती है वह बाद में नहीं रहती है । तात्पर्य यह है कि देश का प्रत्येक बालक दस वर्ष की अवस्था से पहले हिन्दी जल्दी सीख सकता है ।

आन्ध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में हिन्दी का शिक्षण द्वितीय भाषा के रूप में पाँचवी कक्षा से आरंभ होता है ओर परंतु आन्ध्र प्रान्त में छठवीं कक्षा से आरंभ होता है । आन्ध्र प्रान्त के छात्रों को हिन्दी सीखने की एक बहुत बड़ी असुविधा एवं कठिनाई इस बात की है कि छात्रों को छठवीं कक्षा में पाँचवी कक्षा के कुछ पाठ भी पढ़ना पड़ता है । यह भाषा शिक्षण की दृष्टि से अमनोवैज्ञानिक है । शोधकार्य के सर्वेक्षण में अध्यापकों से प्राप्त विश्लेषण उत्तर संख्या-73 में 60.31 प्रतिशत अध्यापकों ने अपना यह मत प्रकट किये हैं कि प्रारंभिक कक्षाओं में हिन्दी का शिक्षण दोषपूर्ण है । कारण यह है कि इन कक्षाओं को पढ़ाने वाले अध्यापक स्वयं यह मानते है कि हिन्दी सीखने से कोई लाभ नहीं होता है । इसको अध्यापकों ने विश्लेषण उत्तर संख्या-71 में अपने विचार प्रकट किया है । इनका प्रतिशत 46.95 है । इसको दृष्टि में रखकर हिन्दी अध्यापकों ने विश्लेषण संख्या-23 में यह विचार

प्रकट किया है कि आन्ध्र प्रदेश में पाँचवी कक्षा से ही हिन्दी का शिक्षण आरंभ करना चाहिए । इनका प्रतिशत 58·40 है । पाँचवी कक्षा से हिन्दी शिक्षण को आरंभ करने से सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि 6वीं कक्षा में छात्रों को 5वीं तथा 6वीं कक्षा की दो पुस्तकें पढ़ने की जरूरत नहीं होगी । इससे छात्रों पर भाषा का भार कम होगा और भाषा सीखने से सम्बन्धित भय एवं कठिनाई से दूर होंगे । अध्यापक तथा छात्रों में भाषा का क्रम सिस्टर होम जायेगा । इस विषय पर केन्द्रीय हिन्दी संस्थान आगरा में 17 तथा 22 फरवरी 1966 में अहिन्दी भाषियों की हिन्दी सीखने की समस्याओं पर एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ था । अधिकांश विद्वानों ने गोष्ठी-3 में हिन्दी शिक्षण को 5वीं कक्षा से आरंभ करने की बात का समर्थन किया है । (1)

इस प्रकार छात्रों को 5वीं कक्षा के बदले 6वीं कक्षा से हिन्दी की शिक्षा देने से 7वीं कक्षा बोर्ड की परीक्षा होने के नाते इस परीक्षा के हिन्दी विषय में छात्रों की अनुत्तीर्णता की संख्या अधिक हो गई । इसको आन्ध्र प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग ने अपना आदेश जी · ओ · एम · एस · नं ·1046 एजुकेशन, दि · 17-10-1970 में इस विषय को स्पष्ट किया है कि हिन्दी में कम से कम छात्रों को 15 अंक प्राप्त करना होगा । इस आदेश के अनुसार अगर किसी भी स्थिति में छात्र इन अंकों को प्राप्त करने में विफल होते हैं तो भी हिन्दी के लिए निम्नतम (मिनिमम मार्क्स) अंकों को प्राप्त करना आवश्यक नहीं है । इससे स्पष्ट होता है कि सरकार की दृष्टि में हिन्दी अप्रमुख विषय है ।

इसका परिणाम यह होगा कि छात्र हिन्दी पढ़ने में रुचि नहीं

रखेंगे और उनकी दृष्टि में हिन्दी का कोई महत्व नहीं है । इसका प्रधान कार्य यह है कि छात्रों को हिन्दी का शिक्षण स्तरानुसार नहीं देना है । प्रस्तुत शोधकार्य में अनुभवी अध्यापकों ने हिन्दी शिक्षण का आरंभ 5वीं कक्षा से देने के पक्ष में अपना विचार प्रकट किये हैं ।

(2) भाषा-कौशल की समस्या का अध्ययन :

भाषा कौशल की समस्या को सही रूप से समझने के लिए मातृ-भाषा शिक्षण तथा अन्य भाषा शिक्षण के उद्देश्यों में अन्तर क्या है ? इसको जानना अत्यंत आवश्यक है । मातृभाषा के रूप में ही भाषा सिखाई जाती है तो उसके उद्देश्य ज्ञान ग्राह्यता, भाषाभिव्यंजना और भाषा सृजनात्मक होते हैं । जब उसी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है तो उसका लक्ष्य केवल ग्राह्यात्मकता एवं अभिव्यंजनात्मक ही शेष रह जाता है । द्वितीय भाषा हिन्दी के छात्र से हम शुद्ध हिन्दी बोलने, समझने और सीखने की आशा रखते हैं ।

प्रथम तथा द्वितीय भाषा शिक्षण का अन्तर केवल उद्देश्यों में ही नहीं बल्कि प्रयोजन में भी अन्तर दिखाई देता है । इसके सम्बन्ध में डा० आई पाण्डुरंगराव, वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी, लोक सेवा संघ आयोग, नई दिल्ली ने अहिन्दी प्रान्तों में हिन्दी शिक्षण नामक अपने लेख में मातृभाषा और द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी शिक्षण के प्रयोजनों के अन्तर को स्पष्ट किया है । उनका कहना है कि ' दैनंदिन जीवन के सीधे साधे वार्तालाप से लेकर साहित्यिक, सांस्कृतिक सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन के ऊँचे से ऊँचे और जटिल विचारों तक को व्यक्त करने की क्षमता मातृभाषा ही में अपेक्षित और प्राप्त होती है । आमोद-प्रमोद, चिन्तन, विवेचन, अनुबोध और अभिव्यक्ति के प्राथमिक साधन के रूप में मातृभाषा का ही प्रयोग होता है । इसके विपरीत जीवन के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में व्यवहारिक आदान-प्रदान के मौलिक

लौकिक साधन के रूप में हिन्दी जैसी अतिरिक्त भाषा का प्रयोग होता है । जीवन के रागात्मक पक्ष विकसित करने में इसका कम प्रयोग किया जाता है ।" (2)

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि द्वितीय भाषा शिक्षण में छात्रों को भाषा कौशलों से अधिक परिचय कराने की आवश्यकता होती है । छात्र मातृभाषा को अपने घर में माता-पिता, भाई-बहन, मित्र आदि से सुन - पाता है और उसको सहज वातावरण मिलता है उसके कानों पर मातृभाषा की ध्वनियों का संस्कार पडता है परन्तु अन्य भाषा को सीखते समय बालक को सुनने का अवसर बहुत कम मिलता है । इसलिए पहले सुनना और ~~बेलना~~ बोलना सिखाने के बाद पढ़ना और लिखना सिखाना चाहिए । क्योंकि छात्र को पढ़ने और लिखने की क्षमता प्राप्त करने के लिए पहले सुनने और बोलने की क्षमता प्राप्त करनी चाहिए ।

शोधकर्ता ने आन्ध्र प्रान्त के 8वीं कक्षा के छात्रों की भाषा कौशल सम्बन्धी इन क्षमताओं को पहचानने के लिए प्रथम छात्रों को हिन्दी पढ़ानेवालो वाले इन अध्यापकों की प्रश्नावली भेजी है । वास्तव में देखा जाय तो इन कौशलों का परीक्षण अलग अलग रूप से करना बहुत ही कठिन कार्य है । कारण यह है कि प्रत्येक कौशल अपने में स्वतंत्र न होकर दूसरे कौशलों से संबंध रखनेवाले हैं । उदाहरणस्वरूप जब तक छात्र श्रवण कौशल को हासिल नहीं करता तबतक वह बोल नहीं पाता । उसी प्रकार वाचन का सम्बन्ध लेखन से भी है । उच्चारण और लिपि का घनिष्ठ संबंध है । उच्चारण की अशुद्धता लेखन की अशुद्धता का कारण बन जाता है । इसलिए इनका परीक्षण वैज्ञानिक ढंग से करना आधुनिक भाषा प्रयोगशालाओं में ही कुछ हद तक संभव हो सकता है । प्रस्तुत शोध कार्य में छात्रों की भाषा कौशल संबंधी गलतियों को निर्देश करना होता है । वैज्ञानिक विश्लेषण करना इसका क्षेत्र नहीं है । भाषा अधिगम पर भाषा कौशलों का विवरण पृष्ठ (363) पर देखा जा सकता है ।

PARADIGM

भाषा शिक्षण / अधिगम

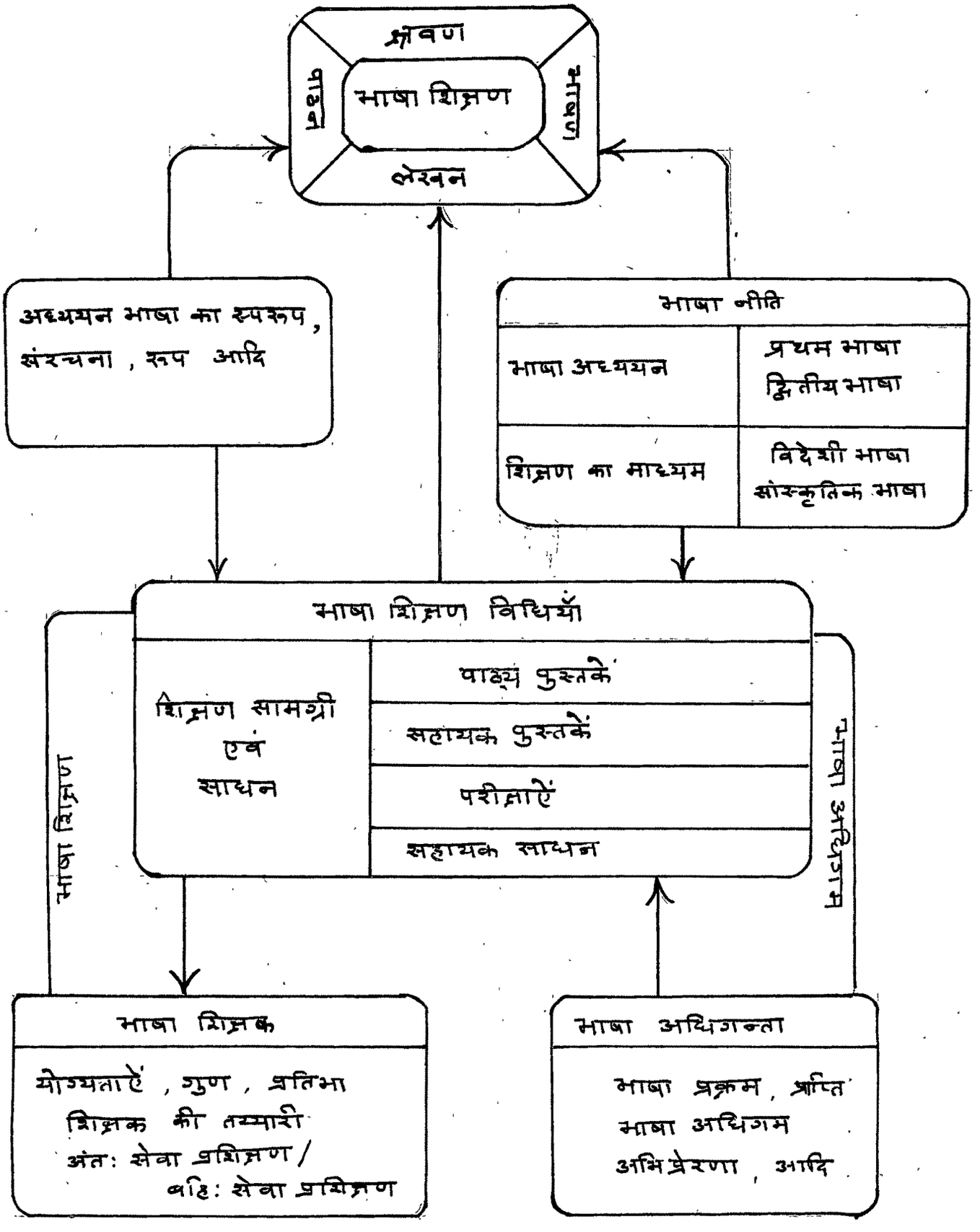

(1) श्रवण कौशल :

अध्यापकों से आठवीं कक्षा के छात्रों के श्रवण संबंधी योग्यता जाँचने के लिए प्रश्न पूछे गये हैं इनके उत्तर में अध्यापकों ने विश्लेषण सूची-34 के द्वारा यह विचार प्रकट किये हैं कि छात्र हिन्दी भाषा को सुनकर समझ नहीं सकते हैं । इन उत्तरदाताओं का प्रतिशत 54·96 है । इन उत्तरदाताओं ने इस प्रश्न का कारण, विश्लेषण उत्तर संख्या 100 में यह बताये हैं कि छात्रों के घरों में हिन्दी का व्यवहार नहीं होने के कारण वे हिन्दी को सुनकर समझ नहीं सकते हैं ।

श्रवण कौशल में छात्रों का स्तर निम्न होने के अनेक कारण हो सकते हैं । वास्तव में श्रवण में छात्र जो कुछ सुनता है उसे वह समझना और याद रखना भी होता है । इस कौशल में छात्रों की अन्तर समझने की शक्ति, धारण करने की शक्ति तथा बोधन शक्ति (expression)निहित हैं । किसी भी छात्र के भाषा सीखने का क अर्थ है उस भाषा को सुनना अर्थात् श्रवण करना । द्वितीय भाषा के परिपेक्ष्य में श्रवण सीखने के अंतर्गत बातचीत करने की बात भी निहित है । भाषा अधिगम के चारों क कौशलों में श्रवण कौशल का प्रथम स्थान है ।

इससे यह पता चलता है कि 8 वीं कक्षा के छात्रों को तेलुगु तथा हिन्दी ध्वनियों की साम्यता तथा भिन्नता का ज्ञान कम मालूम होता है । इसका कारण यह है कि प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनि व्यवस्था होती है । कभी कभी इन दो भाषाओं की ध्वनि व्यवस्थाओं में अन्तर होता है । जब कभी छात्र अप्रत्यक्ष अन्य भाषा की ध्वनियों को सुनता है तो पहले वह उन ध्वनियों को अपनी मातृभाषा की ध्वनियों से तुलना कर लेता है । और अपनी मातृभाषा की ध्वनियों के माध्यम से सुनता है । इसलिए अन्य भाषा सीखने से पहले छात्र को उस भाषा की ध्वनि व्यवस्था को जान लेना चाहिए ।

उदाहरण के लिए तेलुगु-भाषा भाषी छात्रों को हिन्दी सुनते समय कई बार समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं । हिन्दी में 'ऋ' का उच्चारण 'रि' की भाँति होता है । 'ड़' और 'ढ़' व्यंजन ध्वनिग्राम है । लेकिन तेलुगु में ये दोनों नहीं है । यही कारण है कि तेलुगु के छात्र 'पेड़' को 'पेड' और 'गढ़' को 'गढ' कहते और लिखते भी हैं । 'श' हिन्दी में अलग प्रकार से उच्चारित होता है परन्तु तेलुगु में इसका उच्चारण भिन्न रीति से होता है । 'ल' और 'ळ' हिन्दी में 'ल' ही है । जैसे तेलुगु में 'ल' तथा 'ळ' के रूप अलग है । हिन्दी का 'कला' तेलुगु में स्वप्न में रूप में प्रयोग होता है । इसका कारण ध्वनि की भिन्नता ही है ।

इसके अतिरिक्त हिन्दी का प्रत्येक शब्दान्त हलन्त होता है जब कि तेलुगु का प्रत्येक शब्दान्त अजन्त होता है । तेलुगु में एक विचित्रता यह है कि कुछ व्यंजन ध्वनियाँ महाप्राण से अल्पप्राण हो जाती हैं जिससे हिन्दी में उच्चारण संबंधी गड़बड़ी होती है । जैसे बंधन का - 'बंदन', 'विश्वनाथन' का 'विश्वनाथन' आदि ।

कभी कभी हिन्दी 'त्य' तेलुगु में 'च्च' के रूप में उच्चरित होता है । जैसा 'साहित्य' का उच्चारण तेलुगु में 'साहिच्च' के रूप में होता है ।

हिन्दी की 'क़, ख़, ग़, ज़, फ़, आदि ध्वनियाँ तेलुगु में नहीं हैं इनके कारण भी छात्रों को हिन्दी सीखने में कठिनाई होती हैं ।

तेलुगु में अनुस्वर 'अं', तथा 'अः' है । तेलुगु में विसर्ग ध्वनि का लुप्तसा हो गया है ।

हिन्दी में कुछ ऐसी विशेष ध्वनियाँ हैं जो तेलुगु में नहीं पाई जाती हैं

उसमें अर्धानुस्वार या 'चन्द्रबिन्दु' है । तेलुगु में अर्धानुस्वार का चिह्न है परंतु उसका उपयोग नहीं होता है । परंतु हिन्दी में अर्धानुस्वार का भाषा में प्रयोग होता है । तेलुगु छात्रों को यह ध्वनि नवीन होने के कारण इसको सुनकर बोलने में गलति करते हैं ।

छात्रों की अर्थ-ग्रहण शक्ति के संबंध में अध्यापकों से प्रश्न पूछे गये हैं । अध्यापकों के उत्तर विश्लेषण सूची-102 में यह बताये हैं कि छात्र हिन्दी ध्वनियों को पहचान न सकने के कारण वे सस्वर वाचन नहीं कर सकते हैं । इन उत्तरदाताओं का प्रतिशत 46·18 है । छात्र हिन्दी ध्वनियों को पूर्ण रूप से न पहचानने पर भी जिन ध्वनियों का संबंध छात्रों की मातृभाषा से हैं उन ध्वनियों की सहायता से छात्र अर्थग्रहण कर सकते हैं । छात्रों की संपूर्ण उपलब्धि परिक्षण की विश्लेषण सूची के अनुसार अर्थ-ग्रहण की शक्ति में नगरीय छात्रों का प्रतिशत 37·57 हैं तो नगरीय छात्राओं का प्रतिशत 36·53 है । इसी प्रकार ग्रामीय छात्रों का प्रतिशत 34·17 है तो छात्राओं का प्रतिशत 32·08 है । नगरीय तथा ग्रामीय छात्र छात्राओं की अर्थग्रहण शक्ति में अधिक अन्तर, प्रतिशत की तुलना से नहीं दिखाई देता है । इससे शोधकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुँचा है किछात्र पुस्तक को पढ़कर समझ सकते हैं । छात्रों का यह प्रतिशत संपूर्ण छात्र तथा छात्राओं की औसत प्रतिशत 15·71 से अधिक है और आन्ध्र प्रदेश सरकार से निर्धारित प्रतिशत 20%से भी अधिक होने के कारण यह कहा जा सकता है कि छात्र तथा छात्राओं की अर्थग्रहण शक्ति का स्तर ठीक ही है । यहाँ पर श्रवण कौशल के अन्तर्गत आनेवाले एक उद्देश्य की पूर्ति हुई परंतु श्रवण कौशल से संबंधित ध्वनि विश्लेषण आदि की चर्चा इस शोध विषय की सीमा के अन्तर्गत नहीं आती है ।

(2) भाषण कौशल :

भाषण कौशल का अर्थ मौखिक अभिव्यक्ति होता है । इस कौशल का संबंध ध्वनि, ध्वनि व्यवस्था तथा वाक्य संरचना से भी होता है ।

मातृभाषा की ध्वनि व्यवस्था के प्रभाव का अन्तरण अन्य भाषा की ध्वनि व्यवस्था पर होता है अर्थात् छात्र अन्य भाषा को अपनी मातृभाषा की ध्वनि व्यवस्था के द्वारा सुनते हैं और उसी के द्वारा बोलते हैं । इसका तात्पर्य यह है कि मातृभाषा की आदत छात्र के श्रवण और उच्चारण दोनों को प्रभावित करता है । छात्र अपने विचारों को अन्य भाषा में प्रकट करते समय मातृभाषा के प्रभाव से अपने को बचाना चाहता है परंतु प्रारंभ में वह बच नहीं पाता। इससे उनको भाव प्रकट करने में बाधा पहुँचती है । अपूर्ण तथा अस्पष्ट श्रवण के कारण उनकी स्मरण शक्ति पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है । कारण यह है कि/जिस बात में स्पष्टता नहीं होती है वह ठीक ढंग से समझ में नहीं आती है ।

भाषण कौशल में मुख्यतः दो बातों की प्रधानता रहती है उच्चारण और (आ) मौखिक अभिव्यक्ति

(अ) उच्चारण का अर्थ होता है बोलना अर्थात् भाषा विशेष की ध्वनि व्यवस्था का प्रयोग करना । द्वितीय भाषा को सीखते समय छात्र उस भाषा की ध्वनि व्यवस्था पर अधिकार प्राप्त करना चाहता है उसके बाद जिस प्रकार अन्य भाषा-भाषी बोलता है उसी प्रकार बोलने का प्रयत्न भी करता है अर्थात् अन्य भाषा-भाषी की उच्चारण कौशल को अनुकरण करने का प्रयत्न करता है । जब तक छात्र सही उच्चारण की शक्ति प्रायः प्राप्त नहीं कर सकते तब तक वे अन्य भाषा को ध्वनियों के अर्थ को समझ नहीं पाते हैं । इसलिए भाषा अधिगम में भाषण कौशल का भी विशेष महत्व है ।

जैसा शोधकर्ता ने पहले बता दिया है कि किसी कौशल को अलग अलग रूप से अध्ययन करके भाषा अधिगम में उस कौशल की स्वतंत्रता पर दावा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उच्चारण का प्रभाव लिपि और वर्तनी पर भी पड़ता है । भाषा भाषण व्यापार का एक व्यवहार है उस व्यवहार में जिन सार्थक ध्वनि इकाइयों का उच्चारण होता है उनके संकेत चिह्नों में लिखित चिह्नित करना ही लिपि है । इसलिए लिपि और उच्चारण का घनिष्ठ संबंध रहता है ।

8 वीं कक्षा के छात्रों के भाषण संबंधी कौशल को जानने के उद्देश्य से हिन्दी अध्यापकों से छात्रों की अभिव्यक्ति पर प्रश्न पूछे गये हैं । अध्यापकों ने उत्तर विश्लेषण-सूची-35 में यह विचार प्रकट किये हैं कि छात्र हिन्दी में वार्तालाप नहीं कर सकते हैं । इन उत्तरदाताओं का प्रतिशत 74·8। है । अध्यापकों ने इसका कारण यह बताया है कि छात्रों को कक्षा में हिन्दी वार्तालाप का अभ्यास नहीं कराया जाता है । इस मत को अध्यापकों ने अध्यापक विश्लेषण सूची-10। में प्रकट किया है । इन प्रत्युत्तर दाताओं का प्रतिशत 34·73 है ।

छात्रों के मौखिक साक्षात्कार विवरण संख्या-30 से यह दृढ़ होता है कि अध्यापक कक्षा में हिन्दी शिक्षण तेलुगु माध्यम से देते हैं । इसका प्रभाव यह होता है कि छात्रों के कानों पर तेलुगु का पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है । छात्रों का हिन्दी की नवीन ध्वनियों को सुनने का मौका नहीं मिलता है । इसका यह कारण होता है कि तेलुगु मातृभाषा भाषी आठवीं कक्षा के छात्र हिन्दी में वार्तालाप नहीं कर सकते हैं ।

इसके साथ ही साथ अध्यापक विश्लेषण सूची-104 में 66·79 प्रतिशत अध्यापकों ने यह माना है कि 8 वीं कक्षा के तेलुगु भाषा-भाषी छात्रों पर हिन्दी भाषा सीखने में सबसे अधिक प्रभाव उच्चारण पर पड़ता है । यह ठीक है कि

प्रत्येक भाषा के उच्चारण की प्रकृति भिन्न-भिन्न होती है । प्रत्येक व्यक्ति का कभी उच्चारण सामाजिक तथा भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है । कभी कभी व्यक्ति विशेष का उच्चारण शारीरिक विकार के कारण भी पृथक हो सकता है । इतना ही नहीं प्रशिक्षित व्यक्ति का उच्चारण अप्रशिक्षित व्यक्ति के उच्चारण मातृभाषा से प्रभावित होता है ।

भाषा उपलब्धि परीक्षण की प्रश्न संख्या 4 (अ) भाग के द्वारा 8 वीं कक्षा के छात्रों से उच्चारण संबंधी परीक्षा ली गई है । संपूर्ण भाषा उपलब्धि विश्लेषण सूची से पता चलता है कि 8 वीं कक्षा के नागरीय छात्रों का प्रतिशत 44·42 है । और छात्राओं का प्रतिशत 43·33 है । नगरीय छात्रों का प्रतिशत छात्राओं के प्रतिशत से बहुत ही कम है उसी प्रकार ग्रामीय छात्रों का प्रतिशत 36·08 है और ग्रामीय छात्राओं का प्रतिशत 40·58 है । ग्रामीय छात्राओं ने छात्रों की तुलना में 4·50 प्रतिशत अंक अधिक प्राप्त किये हैं । यह उनके उच्चारण स्तर का परिचायक है ।

आठवीं कक्षा के छात्रों की इस उच्चारण की उपलब्धि प्रतिशत से यह बात स्पष्ट होती है कि छात्रों का हिन्दी उच्चारण ठीक ही है परंतु इसका कारण यह भी हो सकता है कि हिन्दी में संस्कृत के लगभग 50% प्रतिशत तत्सम शब्द है और तेलुगु में भी लगभग संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रतिशत 50% होने के कारण तेलुगु में प्रयुक्त होनेवाले उन शब्दों का उच्चारण ठीक रहने में कोई संदेह उत्पन्न नहीं होता है ।

यहाँ पर इस बात को स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी व्यक्ति के शब्दोच्चारण ठीक होना उस व्यक्ति के मौखिक अभिव्यक्ति कौशल में निपुण होना नहीं है । किसी भी व्यक्ति का उच्चारण ठीक होने पर भी मौखिक अभिव्यक्ति ठीक नहीं हो सकती है क्योंकि मौखिक अभिव्यक्ति में छात्रों का बोधन, स्वर, व्यंजन, बलाघात,

अनुतान वाक्य-संरचना एवं व्याकरण का ज्ञान आदि का प्रभाव अधिक रहता है। छात्रों को मौखिक अभिव्यक्ति का अभ्यास आधारभूत वाक्य साँचों की सहायता से करवाया जाता है।

इसलिए छात्रों के उच्चारण का ज्ञान एवं स्तर का ठीक होना इसका प्रमाण है कि छात्र तेलुगु में प्रयुक्त संस्कृत शब्दों का उच्चारण ठीक कर सकते हैं और उन्हीं शब्दों को हिन्दी में यथावत् प्रयुक्त करने के कारण तेलुगु भाषी-भाषियों को हिन्दी शब्दोच्चारण की ~~समस्याअधिक~~ समस्या अधिक नहीं रहती है। परंतु तेलुगु के छात्र उन हिन्दी ध्वनियों का उच्चारण ठीक ढंग से नहीं कर सकते हैं जो तेलुगु में प्रयुक्त नहीं है।

उदाहरण के लिए हिन्दी और तेलुगु के च, छ, ज, झ व्यंजनों की ध्वन्यात्मकता क में अन्तर है। यद्यपि हिन्दी और तेलुगु में ये व्यंजन तालव्यवर्त्य स्पर्श संघर्षी है तथापि उनमें यह अन्तर पाया जाता है कि तेलुगु में ये व्यंजन (Consonants) अर्थात् किसी प्रमुख नियम के अनुसार उच्चारित होते हैं। अग्र स्वर इ, ई, ऋ एं, ए के इन व्यंजनों के बाद आने पर ये व्यंजन तालव्य वर्त्य स्पर्श संघर्षी हो जाते हैं और इनके बाद पश्चस्वर आ, उ, ऊ ओ के आने पर तालव्य दंत्य संघर्षी हो जाते हैं जैसे चूडु, चाप, चुक्का और चोक्क। तेलुगु के इस प्रभाव के कारण हिन्दी के तालव्य वर्त्य स्पर्श संघर्ष व्यंजनों को तेलुगु छात्र तालव्य दंत्य स्पर्श ~~प्राप्त~~ संघर्षी मान बैठते हैं। जैसा चावल, को चावल, चाल को चाल और आज को 'आज के' रूप में ग्रहण करते हैं। तेलुगु में 'फ़' को छोड़कर बाकी सभी क़, ख़, ग़, ज़ तेलुगु के क, ख, ग, ज के समान हो गये हैं लेकिन हिन्दी में ख़, ज़, फ़ ध्वनियाँ अपना विशिष्ट अस्तित्व रखती हैं। इसलिए तेलुगु भाषा-भाषी छात्र हिन्दी में प्रयुक्त होनेवाली इन ध्वनियों को शुद्ध रूप में ग्रहण नहीं कर पाते हैं।

अतः शोधकर्ता ने 8 वीं कक्षा के भाषण कौशल को दृष्टि में रखकर हिन्दी अध्यापकों के प्रत्युत्तर तथा छात्रों के मौखिक साक्षात्कार उत्तर से इन तथ्यों को प्रकाश में लाया है । 8 वीं कक्षा के छात्र हिन्दी के कुछ संस्कृत शब्दों का उच्चारण सही रूप से करते हैं । इस प्रश्नमें छात्रों की उपलब्धि प्रतिशत कुल छात्रों की औसत उपलब्धि प्रतिशत (5·7) से अधिक है और आन्ध्र प्रदेश सरकार से निर्धारित 20% प्रतिशत अंकों से भी अधिक है । मौखिक उच्चारण में छात्रों का स्तर ठीक होने पर भी उपर्युक्त भाषागत कारणों से छात्रों की मौखिक अभिव्यक्ति तथा भाषण कौशल संतोषजनक नहीं है ।

(3) वाचन कौशल :

भाषा को लिखित रूप के आधार ग्रहण करना या पढ़ना ब्रह्म वाचन कहलाता है । अन्य भाषा के छात्रों को वाचन उस समय सिखाया जाता है जब कि उनका ज्ञान मातृभाषा के वाचन में ठीक रहता है । वाचन करने के लिए छात्र को किसी विशेष भाषा की संरचना एवं शब्द भण्डार का ज्ञान रहना आवश्यक है । विस्तृत शब्द भण्डार का ज्ञान वाचन कौशल को सुगम बना देता है । संरचना ज्ञान इसीलिए आवश्यक है कि वाचन में प्रयोग किये गये शब्दों के पारस्परिक संबंध के आधार पर अर्थग्रहण करने में सुविधा होती है । वाचन में वर्णमाला ज्ञान के साथ ही साथ वाचन की गति की भी आवश्यकता होती है ।

वाचन में मुख्यतः ब्रह्म दो बातें आती हैं । (1) वर्णों और शब्दों को पहचानना (2) लिखित आधार पर अर्थग्रहण करना । छात्रों को अर्थग्रहण करने पर लिपि चिह्नों को पहचानना आवश्यक हो जाता है ।

प्रारंभिक कक्षाओं में द्वितीय भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों के श्रवण और भाषण कौशलों पर अधिकार प्राप्त करना होता है । इनके द्वारा छात्र

सीमित शब्दावली एवं वाक्य संरचनाओं का ज्ञान कुछ हदतक प्राप्त कर सकता है । अर्थग्रहण करने के लिए ध्वनि व्यवस्था पर अधिकार प्राप्त करने के साथ ही साथ सीमित शब्दावली तथा वाक्य संरचनाओं पर भी अधिकार प्राप्त करना आवश्यक है । इस प्रकार छात्र वर्णों को पढ़कर छपे हुए वर्णों को पहचानते हैं । इससे छात्रों को परिचित शब्दावली के साथ साथ वाक्य-संरचना क एवं अर्थग्रहण दोनों को आत्मसात करने का प्रयत्न करता है ।

छात्रों को वाचन का ज्ञान कब देना चाहिए यह एक समस्या है । इस पर विद्वानों में मतभेद हैं । कुछ विद्वानों का मत है कि श्रवण तथा भाषण कौशल में छात्र पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करने के बाद वाचन सिखाना चाहिए । दूसरे कोटि के विद्वान वाचन के आधार पर ही भाषा सिखाने पर बल देते हैं । परंतु यह मनोवैज्ञानिक पद्धति नहीं कहलाती है । श्रवण तथा भाषण कौशल में अधिकार प्राप्त करने के बाद छात्रों में लिखित भाषा पढ़ने की उत्सुकता होती है । भाषा का अधिगम एक सामूहिक प्रतिक्रिया होने के कारण किसके बाद किसको सिखाना आदि विषयों का निर्णय करना बहुत कठिन है । मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचा जाये तो यह ज्ञात होता है कि कक्षा में भाषण कौशल के साथ साथ वाचन का अभ्यास क्रम के अनुसार करना उचित प्रतीत होता है ।

वाचन के मुख्य दो प्रकार हैं : (1) सस्वर वाचन (2) मौन वाचन । मौन वाचन को फिर दो सोपानों में विभाजित किया जाता है । 1) गहन वाचन और 2) द्रुत-वाचन ।

स्पष्ट रूप से सस्वर वाचन करना एक कला है । प्रारंभिक कक्षाओं में सिखाया हुआ विषय का ही सस्वर वाचन कराया जाता है । सस्वर वाचन के द्वारा छात्रों के उच्चारण अनुतान और बलाघात की आदत का समुचित विकास

होता है । सस्वर वाचन पर अधिकार प्राप्त करने के बाद ही छात्रों से मौनवाचन कराया जाना सकता है । मौन वाचन के बाद छात्रों से गहन वाचन का अभ्यास कराया जाता है । गहन वाचन से छात्र पाठ्य सामग्री में निहित विषय को समझने का प्रयत्न करते हैं । गहन वाचन में शब्दों को पढ़ते है और उन्हें बहुत देर तक याद रखते हुए अर्थ की दृष्टि से उनके पूर्व विषय से संबंध जोड़ते हैं । जब छात्रों के पास पर्याप्त शब्दावली रहती हैं और उन पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के बाद ही छात्रों से द्रुत वाचन कराया जाता है ।

प्रस्तुत शोधकार्य में शोधकर्ता ने 8 वीं कक्षा के छात्रों के वाचन कौशल का अध्ययन करने का प्रयत्न किया । वाचन कौशल पर आन्ध्र प्रान्त के हिन्दी अध्यापकों ने विश्लेषण सूची-36 में यह बताया है कि छात्र सस्वर-वाचन नहीं कर सकते हैं । इन अध्यापकों का प्रतिशत 65·27 हैं । एक प्रश्न में जब यह पूछा गया है कि 8 वीं कक्षा के छात्र सस्वर वाचन क्यों नहीं कर सकते हैं और उनके क्या कारण है ? इसके उत्तर में 46·18 प्रतिशत अध्यापकों ने उत्तर संख्या - 102 में यह मत प्रकट किया है कि छात्र हिन्दी ध्वनियों से पूरा पूरा परिचय नहीं रखते हैं और हिन्दी शब्द भण्डार का ज्ञान छात्रों को कम हैं ।

वाचन कौशल में प्रवीण होने के लिए हिन्दी शब्द भण्डार तथा वाक्य संरचना का ज्ञान रहना अत्यंत आवश्यक है ।

उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत प्रश्न 4 के (उ) में छात्रों को वाक्य संरचना एवं मौलिक ज्ञान को जाँचने की दृष्टि से पाँच शब्द देकर वाक्यों में प्रयोग करने का आदेश दिया गया है । संपूर्ण विश्लेषण सूची में इस प्रश्न के अंकों का प्रतिशत देखने से यह पता चलता है कि नगरीय छात्र तथा छात्राओं का प्रतिशत 0·96 तथा 0·96 होना और ग्रामीण छात्र तथा छात्राओं का प्रतिशत भी 0·92 तथा 0·75 होना अत्यंत दयनीय स्थिति के द्योतक है । इससे यह स्पष्ट होता है कि छात्रों में वाक्य संरचना का ज्ञान स्तरानुकूल नहीं है ।

इसी प्रश्न के (इ) भाग में छात्रों का शब्द भण्डार की जाँच करने के उद्देश्य से कुछ शब्दों के विपरीत अर्थ लिखने का आदेश दिया गया है । छात्रों के संपूर्ण उपलब्धि परीक्षण सूची के आधार (इ) भाग में नगरीय छात्रों ने 21·4। प्रतिशत तथा छात्राओं ने 19·95 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं । इसी प्रकार इस प्रश्न में ग्रामीय छात्रों को 19·43 तथा छात्राओं को 15·57 अंक मिले । औसत प्रतिशत 15·7। की तुलना से यह ज्ञात होता है कि इस प्रश्न में छात्रों का स्तर साधारण है परंतु आन्ध्र प्रदेश सरकार से निर्धारित अंकों की तुलना से यह ज्ञात होता है कि नगरीय छात्रों को छोड़कर अन्य छात्रों का स्तर निम्न है ।

अध्यापकों से प्राप्त उत्तर एवं छात्रों की भाषा उपलब्धि परीक्षण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 8 वीं कक्षा के छात्रों का शब्द भण्डार तथा वाक्य संरचना का स्तर निम्न मालूम पड़ता है ।

8 वीं कक्षाके छात्रों को हिन्दी शब्द भण्डार का ज्ञान कम होने का कारण यह है कि प्रत्येक राज्य के लिए आधारभूत शब्दावली का निर्माण नहीं हुआ है । पश्चिमी देशों में आधारभूत शब्दावली का काम पिछली शताब्दी में आरंभ हुआ था । हमारी हिन्दी के लिए यह काम किसी संस्था के द्वारा नहीं हो सका । हाल ही में केन्द्रीय सरकार ने 2000 शब्दों का तथा उससे भी संक्षिप्त 500 अत्यावश्यक शब्दों की शब्दावलियाँ प्रकाशित की हैं । इन शब्दावलियों के आधार पर प्रत्येक राज्य में स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर अपनी शब्दावलियाँ निर्मित होनी चाहिए । इन शब्दावलियों में स्थानीय शब्दों को प्रथम स्थान देना उचित होगा । अगर इन शब्दावलियों में स्थानीय शब्दों को प्रथम स्थान देना उचित होगा । अगर इन शब्दावलियों को आधार मानकर पाठ्यपुस्तकें लिखी जाएँ तो संभव है कि छात्रों में आवश्यक शब्द भण्डार का ज्ञान पर्याप्त रूप से होगा और वाचन कौशल के स्तर को बढ़ाने में इनका विशेष महत्व होगा ।

(4) लेखन कौशल :

लेखन भाषा की अंशिक अभिव्यक्ति है । प्रत्येक भाषा की अपनी लेखन व्यवस्था होती है । लेखन भाषा को दृश्य चिह्नों से अंकित करने की एक पद्धति है ।

राबर्ट लेडो के शब्दों में – ' ध्वनियों का अक्षर प्रतीकों में अंकित करना ही लेखन है । ये अक्षर प्रतीक या लिपि चिह्न भाषा का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनके माध्यम से ही हमारे मन के भावों को लिपिबद्ध किया जाता है । " लिपि को समझने के लिए वाचन की सहायता लेनी पडती है । इससे यह स्पष्ट है कि वाचन का प्रभाव लिपि पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है । वाचन के गलत उच्चारण लिपि में दोष आने का कारण बन जाते हैं ।

लिपि चिह्नों के द्वारा भाषा सुरक्षित होती हैं । लेखन-व्यवस्था का व्यवहार करना आदत का सवाल है । बार-बार अभ्यास करने और लम्बे समय तक व्यवस्था विशेष के अनुसार व्यवहार करने से वह व्यवहार हमारा अंग बन जाता है अर्थात् लेखन कौशल में छात्रों को निपुण बनाने के लिए निरंतर अभ्यास कराना पडता है । कभी-कभी हमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि अच्छे से अच्छा वक्ता भी अपने विचारों को कभी-कभी लिपिबद्ध नहीं कर सकता है । उसी प्रकार अच्छे से अच्छा लेखक भी अपने विचारों को मुँह से प्रकट नहीं कर पाते है । इसका प्रधान कारण यह है कि उन व्यक्तियों को आदत या अभ्यास नहीं रहता है ।

हमेशा यह देखने को मिलता है कि छात्रों की मातृभाषा का प्रभाव उनकी द्वितीय भाषा की लेखन व्यवस्था पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है ।

मातृभाषा का प्रभाव उनकी वर्तनी, वर्ण रचना तथा मात्रा पर भी रहता है । अधिकतर मातृभाषा भाषी द्वारा बोली और लिखी जानेवाली भाषा के पर्याप्त मात्रा में श्रवण और वाचन द्वारा ही अन्य भाषा-भाषी उस भाषा के लिखित और मौखिक रूप को आत्मसात कर लेते हैं ।

लेखन के अभ्यास पर श्रवण, भाषण तथा वाचन तीनों का प्रभाव पडता है । व्यक्ति अपने विचारों को ठीक ढंग से व्यक्त करता है, तो उन्हें भाषा की संरचना तथा शब्दावली पर अच्छा अधिकार प्राप्त करना आवश्यक है ।

लेखन शिक्षण कब दिया जाय ? इस पर विद्वानों में अलग अलग मत हैं । प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री मान्टोसरी का कहना है कि छात्रों को पहले लेखन सिखाना चाहिए पर आधुनिक भाषा-वैज्ञानिकों ने इसे अमनो-वैज्ञानिक माना है । उनका कहना है कि बिना ध्वनि संकेतों को सिखाये छात्र लेखन को ठीक ढंग से नहीं सीख सकते हैं । इसीलिए उन्होंने श्रवण तथा भाषण सिखाने पर अपना मत प्रकट किया और बालकों को इन दोनों कौशल पर अधिकार प्राप्त करने के बाद ही लेखन कौशल को सिखाना चाहिए । वास्तव में लेखन कौशल अन्य कौशलों के साथ-साथ विकसित होता है । इसीलिए लेखन कौशल को अन्य कौशलों के साथ साथ सिखाना चाहिए ।

प्रस्तुत शोधकार्य में छात्रों के लेखन कौशल को मालूम करने का प्रधान उद्देश्य रहा है । 8वीं कक्षा के छात्रों के लेखन कौशल के सम्बन्ध में जानने के लिए उन छात्रों को पढ़ानेवाले अध्यापकों को प्रश्नावली भेजी गई है । प्रश्नावली की विश्लेषण-सूची -37 में 62·2 प्रतिशत अध्यापकोंने इस बात को स्वीकार किया है कि आठवीं कक्षा के छात्र लेखन कौशल में कमज़ोर हैं ।

इन अध्यापकों ने यह भी बताया है कि छात्रों को हिन्दी वाक्य रचना का ज्ञान कम है । इस मत के उत्तरदाताओं का प्रतिशत 40·84 है । इन्होंने विश्लेषण संख्या-103 में इस मत को प्रकट किया है । अध्यापकों का यह विचार छात्रों के साक्षात्कार प्रश्न संख्या 2। के विश्लेषण से सिद्ध हुआ है । इस विश्लेषण मे अत्यधिक छात्रों ने इस मत का समर्थन किया कि उनको हिन्दी सीखने में लेखन के स्तर पर अधिक कठिनाई होती है । इन प्रत्युत्तरदाताओं का प्रतिशत 35·31 है और इसके बाद 30·62 प्रतिशत छात्रों ने बातचीत अर्थात् भाषण-कौशल का प्रभाव लेखन पर भी कारण बताया । इससे यह स्पष्ट होता है कि छात्रों का भाषण कौशल का प्रभाव लेखन पर भी होता है । क्योंकि उच्चारण और लिपि का घनिष्ठ संबंध है । उच्चारण का दोष लिपि या लेखन का दोष बन जाता है ।

लेखन कौशल के अंतर्गत वर्ण, रचना, वर्तनी, मात्राओं का ज्ञान, शुद्ध वाक्यों का ज्ञान, शब्दों के रूप का अवलोकन स्मरण रखने की शक्ति की जाँच के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति, रचना का अभ्यास तथा अनुवाद कौशल आते हैं ।

इन सबकी जाँच करने के लिए शोधकर्ता ने छात्रों की भाषा उपलब्धि परीक्षण में इनका समावेश किया गया है । उपलब्धि परीक्षण की संपूर्णसूची के अनुसार छात्रों ने 4(अ) जिसका उद्देश्य शुद्ध वाक्यों के ज्ञान से सम्बन्धित है जिसमें नगरीय छात्रों ने 44·42 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं और छात्राओं का प्रतिशत 43·33 हैं । इन दोनों के प्रतिशत का अन्तर बहुत कम होने के कारण तुलना करना उतना उचित नहीं जान पडता है । इसी प्रकार ग्रामीय छात्र तथा छात्राओं ने इस में 36·08 तथा 40·58 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं ।

इसमें छात्राओं का छात्रों से भी 4·50 प्रतिशतअंक अधिक है । स्पष्ट है कि ग्रामीय छात्राएँ ग्रामीय छात्रों की अपेक्षा शुद्ध वाक्य का ज्ञान रखते हैं । परंतु इस प्रश्न के पाँचवें मद की तुलना करने से यह पता चला कि अधिक संख्यक छात्रों ने मद संख्या 2 और 5 का उत्तर ठीक ढंग से नहीं दिया । इन दो मदों में ' ने ' प्रत्यय का प्रयोग तथा लिंग भेद संबंधी प्रश्न हैं । इस शोधकर्ता को यह बात स्पष्ट हो गयी है कि छात्रों को इन दोनों का पर्याप्त ज्ञान नहीं है ।

प्रश्न 4(आ) में छात्रों के वचन सम्बन्धी ज्ञान की जाँच की गई है । उपलब्धि परीक्षण के संपूर्ण विश्लेषण सूची से यह पता चलता है कि इस कौशल में नगरीय छात्रों ने 10·42 प्रतिशत अंक और छात्राओं ने 9·79 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं । वचन सम्बन्धी ज्ञान की जाँच में ग्रामीय छात्रों ने 8·83 प्रतिशत और छात्राओं ने 8·25 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं । इससे यह बात स्पष्ट हो गई कि 8वीं कक्षा के छात्र तथा छात्राओं के वचन सम्बन्धी उपलब्धि औसत छात्रों की प्र उपलब्धि प्रतिशत 15·71 से भी कम होने के कारण संतोषजनक नहीं है ।

इसी प्रश्न के (ई) अंश जो छात्रों की वर्तनी के ज्ञान को जाँचने के उद्देश्य से दिया गया है उसमें नगरीय छात्रों ने 23·33 तथा छात्राओं ने 25·57 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं । इन दोनों की उपलब्धि में अधिक अन्तर नहीं है । इसके अनुरूप ग्रामीय छात्र तथा छात्राओं ने 20·52 तथा 21·04 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं । शोधकर्ता ने जब इन अंक प्रतिशत की तुलना औसत छात्रों के प्रतिशत 15·71 से की तो यह पता चलता है कि वर्तनी में छात्र तथा छात्राओं की उपलब्धि साधारण है ।

प्रश्न 4(उ) भाग में छात्रों की मौलिक रचना का परीक्षण किया गया है । संपूर्ण उपलब्धि विश्लेषण सूची के अनुसार नगरीय छात्र तथा छात्राओं ने इस मद में 0·96 प्रतिशत अंक तथा ग्रामीण छात्र तथा छात्राओं ने 0·92 तथा 0·75 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं । इन अंकों का प्रतिशत औसत अंक प्रतिशत (5·7) से बहुत कम होने के कारण इसकी तुलना करना उचित नहीं जान पड़ता है । परंतु इस प्रतिशत को दृष्टि में रखकर खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि 8 वीं कक्षा के छात्र तथा छात्राओं की वाक्य रचना केवल संतोषजनक नहीं है ।

छात्रों के उपलब्धि परीक्षण के संपूर्ण विश्लेषण सूची से यह ज्ञात होता है कि छात्रों की रचना तथा अनुवाद कौशल निम्न कोटि का है । इस कौशल में नगरीय छात्रों ने 5·6(तथा छात्राओं ने 5·25 प्रतिशत अंक प्राप्त किये और ग्रामीय छात्र तथा छात्राओं की उपलब्धि क्रमशः 4·56 तथा 3·97 प्रतिशत है ।

छात्रों ने लेखन संबंधी इस भाषा/ उपलब्धि को अध्यापकों की प्रश्नावली तथा छात्रों के मौखिक साक्षात्कार को दृष्टि में रखकर विचार किया जाये तो पता चलता है कि इनके लेखन संबंधी कठिनाइयों के लिए निम्नांकित बातें कारण हो सकती हैं ।

लिपि उच्चारण एवं वर्तनी में परस्पर संबंध है । उनको एक दूसरे से अलग करके विचार करने में असुविधा होती है । क्योंकि भाषा एक भाषण व्यापार है । इस व्यापार में जिन सार्थक ध्वनि इकाइयों का उच्चारण होता है उनको संकेत चिह्नों में चिह्नित करना लिपि है । भाषा के लिपि चिह्न स्थिर होते हैं जबकि उच्चारण में निरंतर परिवर्तन होता रहता है । उच्चारण परिवर्तन का प्रभाव वर्तनी पर पड़ता है क्योंकि हम उच्चारण के अनुसार ही शब्दों की वर्तनी बनाते हैं ।

शोधकर्ता ने यहाँ तेलुगु भाषी छात्रों के हिन्दी वर्तनी संबंधी कुछ कठिनाइयों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है ।

तेलुगु छात्र हिन्दी उच्चारण के अनुसार वर्तनी बनाता है तो वर्तनी की गलती होती है और लिपि के अनुसार उच्चारण करने लगता है तो कृत्रिम हो जाता हैं । इसका प्रधान कारण यह है कि हिन्दी के कई शब्द व्यंजनांत होते हैं लेकिन उनको स्वरांत बनाकर लिखा जाता है । परंतु तेलुगु छात्र उनके उच्चारण के अनुसार लिखने लगता है तो वर्तनी की अशुद्धि होती है । जैसे 'फल' का 'फल्' (हलंत चिह्न बनाकर लिखी गई वर्तनी)। यदि वह लिपि को ही वर्तनी का आधार माने तो उसे स्वरान्त बनाकर 'फ्ल' 'फल' के रूप में उच्चारण करता है । इसके अतिरिक्त हिन्दी में शब्द के मध्य में आनेवाले स्वर का उच्चारण नहीं होता है । इसका प्रभाव भी वर्तनी पर पड़ता है । जैसे 'आदमी' लिखा जाता है और उच्चारण किया जाता है आदमी (अ+द्+म्+ई) करता है । इसी तरह करता, मरता, चलता आदि की वर्तनी में भी तेलुगु छात्र गलतियाँ करते है ।

'र' कार से बने व्यंजन गुच्छों की वर्तनी में तेलुगु भाषा-भाषी छात्र को असुविधा होती है जैसे कर्म, धर्म, गर्व आदि के उच्चारण में व्यंजन गुच्छ आता है इसीलिए तेलुगु विद्यार्थी कभी कभी 'क्र्म कर्म, ध्र्म और ग्र्व' के रूप में लिखता है ।

इसके अतिरिक्त संस्कृत के समान स्रोतीय एवं समान रूपी शब्द जो हिन्दी और तेलुगु में प्रयुक्त होते हैं उनकी वर्तनी में अन्तर आ जाता है । तेलुगु में सामग्रि तथा श्रेणी शब्द हिंदी में सामग्री तथा श्रेणी के रूप में लिखी जाती है । इसका यह कारण है कि हिन्दी ह्रस्व स्वरों की दीर्घता से तेलुगु ह्रस्व स्वरों की दीर्घता अधिक होती है ।

इसी प्रकार तेलुगु में अनुनासिकता का महत्व नहीं है लेकिन हिन्दी में इसका महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है जैसे - सास और साँस । तेलुगु भाषी छात्र अपनी मातृभाषा के प्रभाव के कारण अनुनासिकता को अनुस्वार या नासिक्य के व्यंजना बनाकर उच्चारण करता है । इसीलिए उसके उच्चारण में आँख या आन्ख, ' अँधेरा का अन्धेरा ' हो जाता है ।

इस प्रकार तेलुगु छात्र हिन्दी सीखते समय उनके सामने लेखन सम्बन्धी अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं । इसीलिए हिन्दी अध्यापक तेलुगु तथा हिन्दी की समान एवं विपरीत ध्वनियों को दृष्टि में रखकर लेखन का शिक्षण देना उचित है । आन्ध्र प्रान्त में पढ़नेवाले छात्रों से लेखन सम्बन्धी गलतियाँ अधिक होने के कारणों में हिन्दी अध्यापकों के हिन्दी के प्रति अरुचि तथा प्रारंभिक कक्षाओं में हिन्दी शिक्षण की ओर विशेष ध्यान न देना भी है ।

3 व्याकरण की समस्याओं का अध्ययन :

शोधकर्ता ने हिन्दी भाषा अधिगम में तेलुगु भाषी छात्रों के सामने आनेवाली व्याकरण सम्बन्धी कठिनाइयों का अध्ययन करना भी प्रस्तुत शोधकार्य का उद्देश्य है ।

वास्तव में हिन्दी और तेलुगु दो भिन्न परिवारों की भाषाएँ हैं । द्रविड़ भाषा परिवार से सम्बन्ध होने पर भी तेलुगु भाषा और साहित्य, संस्कृत भाषा तथा साहित्य से अत्यधिक प्रभावित है । हिन्दी भाषा सीधे रूप से संस्कृत की आत्मजा है । दो भिन्न परिवार की भाषाएँ होने के कारण दोनों भाषाओं की उच्चारण पद्धति, व्याकरण, शब्दावली आदि में अन्तर होना स्वाभाविक ही है ।

भाषा के ये प्रकृतिगत भेद इतर भाषा को सीखने में पर्याप्त कठिनाई उपस्थित करते हैं ।

8वीं कक्षा के छात्रों के व्याकरण सम्बन्धी ज्ञान के सम्बन्ध में जब हिन्दी अध्यापकों से प्रश्न पूछा गया तब अधिकांश हिन्दी अध्यापकों ने प्रश्न विश्लेषण सूची-38 में यह मत प्रकट किया है कि तेलुगु छात्रों को हिन्दी संयुक्ताक्षर लिखने का ज्ञान कम है । इन उत्तरदाताओं का प्रतिशत 64·12 है । अध्यापकोंने प्रश्न विश्लेषण सूची-105 में इसका कारण यह बताया है कि छात्रों को तेलुगु तथा हिन्दी की ध्वनि प्रक्रिया का ज्ञान न होने के कारण वे हिन्दी के संयुक्ताक्षर लिखने में गलतियाँ करते हैं । इन अध्यापक प्रत्युत्तर-बाताओं का प्रतिशत 49·23 है । छात्रों ने इस बात को मौखिक साक्षात्कार विवरण संख्या -2। में लेखन की कठिनाई के रूप में स्वीकार कर लिया है ।

इसका प्रधान कारण यह है कि संयुक्ताक्षर लिखने में तेलुगु की अपेक्षा हिन्दी अधिक स्पष्ट है । उदाहरण, क्व, ज्व, स्म में क, ज, स आधे ही उच्चरित होते हैं तथा व, य, म पूरा उच्चारण होता है । हिन्दी में इन अक्षरों को लिखने का क्रम यही है अर्थात् जो अक्षर आधा उच्चरित होता है उसका वर्ण आधा ही लिखा जाता है । परन्तु तेलुगु में लेखन की यह बात बिलकुल नयी है । जैसा क्व (క్వ), ज्य(జ్య), स्य (స్య) उसमें क, ज, स पूरे लिखे जाते हैं और स्वर युक्त, व, य, म आधे । कहीं कहीं तो ये स्वरयुक्त वर्ण संकेत रूप में ही दिखाई देते हैं ।(3)

तेलुगु छात्रों को हिन्दी के संयुक्ताक्षर उच्चारण करने का ज्ञान कम होने के कारण वे लेखन में गलतियाँ करते हैं ।

इसके बाद 78·24 प्रतिशत अध्यापकों ने अध्यापक विश्लेषण सूची-39 में यह मत प्रकट किया है कि अधिकांश तेलुगु छात्रों ने लिंग भेद के निर्णय में गलती की है । इसके 8 वीं कक्षा के छात्रों ने अपने साक्षात्कार विवरण संख्या-22 में यह बताया है कि लिंग भेद निर्णय करना उनके लिए समस्याजनक है । इन प्रत्युत्तर छात्रों का प्रतिशत 73·44 है । छात्रों की भाषा उपलब्धि परीक्षण के प्रश्न संख्या 4(अ) भाग के प्रत्येक मद के विश्लेषण से भी यह बात स्पष्ट हुई है कि आन्ध्र के छात्रों के लिए लिंग भेद निर्णय करना समस्याजनक कार्य है । अध्यापकों ने इसकी पुष्टि करते हुए विश्लेषण संख्या-106 में यह विचार प्रकट किये हैं कि तेलुगु के छात्रों को अप्राणिवाचक शब्दों के लिंग भेद के निर्णय में कठिनाई होती है । इन अध्यापकों अध्यापक उत्तरदाताओं का प्रतिशत 54·20 है ।

तेलुगु छात्रों के लिए लिंग भेद का निर्णय करना इसीलिए कठिन है कि तेलुगु में तीन लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग । परन्तु हिन्दी में दो ही लिंग हैं । तेलुगु में जो अ शब्द नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होते हैं उनको हिन्दी में लिंग के विषय में कोई कठिनाई नहीं है । अर्थ के अनुसार लिंग निर्धारण होता है । तेलुगु में महत् और अमहत् के नाम से लिंग के दो ही भेद पाये जाते हैं । मनुष्यवाची शब्दों में केवल पुरुष द्योतक शब्दों का महत् लिंग होता है । मनुष्यों में स्त्रीवाची चेतन पशु-पक्षी, अचेतन पदार्थ तथा वस्तुओं का अमहत् लिंग माना जाता है । परंतु हिन्दी में यह बात नहीं पाई जाती है । हिन्दी की इस कठिनाई के कारण तेलुगु छात्र लिंग भेद निर्णय में कठिनाई अनुभव करते हैं ।

लिंग भेद निर्णय के साथ साथ छात्रों को 'ने' प्रत्यय के प्रयोग में भी कठिनाई होती है । इस मत को 75·95 प्रतिशत अध्यापकों के ने अध्यापक विश्लेषण सूची-40 में अपना विचार प्रकट किया है और इस मत को 8 वीं कक्षा के छात्रों ने अपने साक्षात्कार विवरण सूची-23 में समर्थन किया है । उनके मतानुसार

छात्र हिन्दी के 'ने' क प्रत्यय का प्रयोग जानते ही नहीं है । इन उत्तरदाताओं का प्रतिशत 70.31 है । छात्रों की संपूर्ण उपलब्धि परीक्षण के विश्लेषण प्रश्न संख्या-4 में भागक (अ) में के मद 2 और 5 के विश्लेषण से भी यह पता चलता है कि छात्रों की उपलब्धि इन मदों में संतोषजनक नहीं है ।

छात्रों को 'ने' प्रयोग संबंधी कठिनाई क्यों होती है ? इसके कारणों को 43.51 प्रतिशत अध्यापक विश्लेषण संख्या सूची-107 में बताया है कि 'ने' प्रत्यय के प्रयोग में अनेक नियम तथा अपवाद होने के कारण छात्रों को इसके प्रयोग में कठिनाई होती है ।

यह तो ठीक ही है पर इसके साथ भाषागत कारणों का सोचते हैं तो यह ज्ञात होता है कि हिन्दी का 'ने' प्रत्यय या कारक का समान कारक तेलुगु में नहीं पाया जाता है । यह प्रत्यय तेलुगु छात्रों के लिए बिलुकुल नया ही है । इसीलिए तेलुगु छात्र 'ने' प्रत्यय के प्रयोग में कठिनाई का अनुभव करते हैं । 'ने' प्रत्यय के साथ तेलुगु छात्रों को 'से', 'पर', प्रत्यय के प्रयोग में भी कठिनाई होती है । इसका कारण यह है कि 'तेलुगु में 'से' प्रत्यय के बदले 'को' का प्रयोग होता है । इसीलिए तेलुगु भाषा-भाषी छात्र 'से' के बदले 'को' का प्रयोग करते हैं । तेलुगु छात्र 'पर' का प्रयोग ठीक नहीं कर पाते हैं । जैसा "घर पर मिलो" का अर्थ तेलुगु में 'घर के ऊपर मिलो, होगा । "घर पर मिलो" अर्थ के लिए तेलुगु में घर के पास मिलो चलता है । यह हिन्दी में अप्रचलित है ।

कभी कभी तेलुगु के छात्र हिन्दी में 'हम' सर्वनाम का प्रयोग एक वचन के रूप में सुनकर दातों तले ऊँगली दबाते हैं क्योंकि तेलुगु का छात्र 'हम' को बहु वचन के रूप में सीखता है किन्तु 'हम' हिन्दी में एक वचन के रूप में भी प्रयोग में है ।

अध्यापकों की प्रश्नावली में शोधकर्ता ने छात्रों की संरचना ज्ञान को जानने

के लिए हिन्दी वाक्य-रचना पर प्रश्न पूछा है । इस पर अध्यापकों ने विश्लेषण संख्या-103 के द्वारा यह मत प्रकट किया है कि 8 वीं कक्षा के छात्रों को हिन्दी वाक्य संरचना का ज्ञान बहुत कम है । इस मत को 40.84 प्रतिशत प्रत्युत्तर दाताओं ने मान लिया है । 72.90 प्रतिशत अध्यापकों ने यह स्वीकार किया है कि अधिकतर छात्रों को मिश्र वाक्य के प्रयोग में कठिनाई होती है । इस मत को अध्यापकों ने विश्लेषण संख्या-4। में प्रकट किया है । 43.89 अध्यापक उत्तरदाताओं ने छात्रों की इस कठिनाई के संबंध में यह कारण प्रत्युत्तर संख्या-108 में बताया है कि तेलुगु के छात्रों को हिन्दी वाक्य रचना का ज्ञान नहीं है ।

छात्रों के मौखिक साक्षात्कार में 35.32 प्रतिशत छात्रों ने लेखन संबंधी कठिनाई पर अपना मत छात्रों के मौखिक विश्लेषण संख्या-2। में प्रकट किया है । वाक्य संरचना में छात्र पिछड़े होने के कारण छात्रों ने भाषा उपलब्धि परीक्षण के 4 प्रश्न के अंतर्गत दिया हुआ भाग (3) का उत्तर ठीक ढंग से नहीं लिख सके हैं । इस भाग में संपूर्ण उपलब्धि सूची के अनुसार नगरीय छात्र तथा छात्राओं ने 0.96 अंक और ग्रामीय छात्र-छात्राओं ने 0.92 तथा 0.75 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं । यह उपलब्धि प्रतिशत छात्रों की वाक्य संरचना स्तर को स्पष्ट करता है । इसी प्रकार यह कौशल से संबंधित प्रश्न 7 में भी छात्रों की उपलब्धि संतोषदायक नहीं है । संपूर्ण उपलब्धि विश्लेषण सूची के अनुसार नगरीय छात्र तथा छात्राओं ने इस प्रश्न में 5.6। तथा 5.25 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं और ग्रामीय छात्र तथा छात्राओं ने 4.56 तथा 397 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं ।

इससे यह पता चलता है कि 8वीं कक्षा के छात्रों को हिन्दी वाक्य रचना संबंधी ज्ञान वांछित स्तर का नहीं है ।

आन्ध्र के छात्र हिन्दी वाक्य संरचना में कमजोर होने का भाषागत कारण यह है कि तेलुगु और हिन्दी के वाक्यों में कर्ता, कर्म तथा क्रिया का क्रम समान है । हिन्दी में जो, जब, जहाँ, जैसा, जितना आदि संबंधवाचक शब्दों के प्रयोग के कारण हिन्दी में मिश्र वाक्य सहज ही बन जाते हैं । हिन्दी के मिश्र वाक्यों में दो पूर्ण क्रियाएँ पाई जाती हैं । जैसे :- जो आपका उपकार करेगा, उसे कभी मत भूलिये । परन्तु तेलुगु मे इस प्रकार के स्वतंत्र संबंध वाचक सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषणों का अभाव है । तेलुगु में एक ही पूर्ण क्रिया वाक्य के द्वारा उपर्युक्त भाव को साधारण वाक्य के द्वारा प्रकट किया जाता है । जैसे : मीकु मेलु चेसिन वानिनि एन्नटिकिनि मरववद्दु ।" तेलुगु में केवल मिश्र वाक्यों का एक ही प्रकार दिखाई देता है जिसमें संज्ञा उपवाक्य मात्र आ जाता है जो मुख्य क्रिया से, कर्म के रूप में संबंध रखता है ।

मिश्र वाक्य की रचना में तेलुगु तथा हिन्दी में एक मुख्य भेद यह है कि हिन्दी के मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य के रूप में प्रयोग होता है और संबंधित वाक्य उसके बाद में आता है । जैसा : उन्होंने मुझसे कहा कि आपने यह कार्य नहीं किया " इस वाक्य में ' आपने यह कार्य नहीं किया ' प्रधान उपवाक्य का स्थान पहले है तथा संबंधित उपवाक्य का बाद में । तेलुगु के वाक्य रचना में यह उलटा है ।

हिन्दी की परोक्ष उक्ति (Indirect Speech) तेलुगु छात्रों के लिए विचित्र प्रयोग है । जैसा उसने कहा कि " मैं कल मद्रास जाऊँगा ।" परन्तु आज कल हिन्दी की इस शैली अंग्रेजी के रूप में प्रयोग हो रहा है ।

उपर्युक्त भाषागत विभिन्नताओं के कारण तेलुगु छात्रों को हिन्दी की संरचना, मिश्रवाक्य प्रयोग आदि में कठिनाई होती है ।

III 3 भाषागत अधिगम के प्रधान साधनों से संबंधित समस्याओं का अध्ययन :

शोधकर्ता ने प्रस्तुत सर्वेक्षण कार्य में आन्ध्र प्रान्त के आठवीं कक्षा के छात्रों के सामने हिन्दी अधिगम संबंधी समस्याओं और कठिनाइयों के कारणों की चर्चा ठीक ढंग से करते हुए विश्लेषण अध्याय के उद्देश्य एक और दो (I-II) में विभिन्न भाषागत एवं कौशलगत समस्याओं का अध्ययन और कठिनाइयों के कारणों पर प्रकाश डाला है ।

शोधकर्ता ने यह सोचा कि भाषागत समस्याओं एवं अधिगम संबंधी कौशलों के साथ साथ उनकी भी प्रधानता होती है जिनकी सहायता से छात्रों को भाषा संबंधी शिक्षा दी जाती है । भाषा अधिगम में अधिगम साधनों को छोड़कर समस्याओं का समाधान नहीं दे सकते हैं । इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य अंश 3 में शोधकर्ता ने निम्न प्रधान साधनों को प्रमुख रूप से चयन किया है ।

(1) पाठ्यक्रम (2) पाठ्यपुस्तक (3) शिक्षण विधि (4) सहायक सामग्री (5) हिन्दी अध्यापक तथा मूल्यांकन ।

I पाठ्यक्रम की समस्या का अध्ययन :

शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है । इसका क्षेत्र बडा ही व्यापक है । इस व्यापक क्षेत्र में से अभीष्ट ज्ञान की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता पड़ती है । एक ही साथ मनुष्य संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता । इसीलिए प्रत्येक स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम का

आयोजन करना पडता है । पाठ्यक्रम के होने से समय और शक्ति दोनों की बचत होती है और शैक्षणिक प्रक्रिया को निश्चित दिशा मिलती है । पाठ्यक्रम को देखकर भी विषयों की महत्ता का अनुमान लगाया जा सकता है । पाठ्य-क्रम क्रम के अभाव में विभिन्न पाठशालाओं के पाठ्य-विषय और स्तर भिन्न हो जाते हैं । पाठ्य विषय में एकरूपता दिखाई नहीं देती । पाठ्यक्रम के न होने से छात्रों को भी असुविधा होती है । पाठ्यक्रम के कारण विषय समय और कार्य आदि निश्चित हो जाता है और ज्ञान प्राप्ति में अस्तव्यस्तता आने नहीं पाती ।

सार्वजनिक परीक्षाओं में भी पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण स्थान होता है । निर्दिष्ठ पाठ्यक्रम का निश्चित समय में पूरा करना अनिवार्य होता है । प्रश्न-पत्र भी उसी पाठ्यक्रम के आधार पर बनते और छात्र उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं । उत्तरों की जाँच भी उसी के अनुसार होती है । पाठ्यक्रम को आधार बनाकर ही पाठ्यपुस्तकें तैयार की जाती हैं । इस प्रकार पाठ्यक्रम के होने से शिक्षा के क्षेत्र में लगे हुए सभी व्यक्ति अध्यापक, छात्र, लेखक, परीक्षाओं के प्रबन्धकों, परीक्षकों आदि को सुविधा होती है । अतः यह निर्विवाद सत्य है कि शिक्षा कार्य में पाठ्यक्रम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ।

पाठ्यक्रम के महत्व को बताते हुए एक शिक्षा-शास्त्री ने शिक्षा को दौड़ (Race)कहा है । शिक्षा के उद्देश्यों को लक्ष्य या गन्तव्य स्थान और पाठ्यक्रम को ऐसा साधन माना है जिसकी सहायता से लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं । इस क्षेत्र में दौड़नेवाले अध्यापक और छात्र होते हैं ।

हिन्दी पाठ्यक्रम को तय्यार करते समय निम्न बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए ।

(1) पाठ्यक्रम में किन किन विषयों का समावेश किया जाय इसका निर्णय कर लिया जाए ।

(2) मानक हिन्दी ध्वनियों का, उनके उच्चारण का निर्धारण होना चाहिए।

(3) हिन्दी वर्तनी का निर्धारण होना चाहिए ।

(4) हिन्दी प्रयोगों तथा वाक्यों का अनुक्रमण होना चाहिए ।

(5) हिन्दी की आधारभूत शब्दावली का निर्धारण होना चाहिए।

(6) द्वितीय भाषा के छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए ।

(7) पाठ्यक्रम में भाषा कौशलों पर अधिक ध्यान देना चाहिए ।

(8) लेखक एवं प्रकाशन में सतर्कता की आवश्यकता है ।

(9) पाठ्य सामग्री को ग्राह्य बनाने के लिए उपयुक्त विधि अथवा ढंग का निर्देशन भी पाठ्यक्रम में हो ।

उपर्युक्त बातें निजी क्षेत्र में स्वातंत्र होते हुए भी परस्पर आश्रित हैं । शिक्षा के क्षेत्र में इन तीनों का उपयोग किसी न किसी रूप में होता ही है । द्वितीय भाषा हिन्दी की पाठ्यपुस्तकों में विषयवस्तु पर जितना महत्व दिया जाता है उतना शब्दावली एवं भाषागत कौशलों पर नहीं दिया जाता । पाठ्यक्रम में इस ओर ध्यान देना आवश्यक है ।

यह शोचनीय बात है कि हमारे देश के पाठ्यक्रम के ढाँचे अंग्रेजी राज्य में तैयार किये गये थे, और उनका प्रयोग भारत में कई वर्षों से होता आ रहा है । अतः हमारे पाठ्यक्रम अधिकांश कालातीत हो चुके हैं । उनका

ऐतिहासिक मूल्य भले ही हो पर व्यवहारिक दृष्टि से अनावश्यक हो गये हैं । इसका मुख्य कारण यह है कि उस समय शिक्षा का उद्देश्य आज की अपेक्षा भिन्न था ।

हिन्दी भाषा की वर्णमाला का आधार ध्वनियाँ हैं । इसीलिए इनके उच्चारण में अंग्रेजी की वर्णमाला के समान कोई बाधा नहीं होती । इसलिए पाठ्यक्रम के निर्माण में अमुक भाषा की भाषागत विशेषताओं को दृष्टि में रखकर उसके अनुसार लिखना चाहिए ।

आज तक द्वितीय भाषा हिन्दी पाठ्यपुस्तकों में हिन्दी भाषा के ज्ञान के नाम पर हिन्दी साहित्य का ज्ञान कराया जा रहा है । यह बड़ा ही दोषपूर्ण बात है । पाठ्यक्रम में इसका स्पष्ट निर्धारण हो । प्रसिद्ध भाषाशास्त्री जेस्परसन के अनुसार "भाषा सीखने का उद्देश्य साहित्य के मूल रूप से परिचित होना है ।" इसलिए प्रारंभ में साहित्य की शिक्षा अहिन्दी भाषा भाषियों के लिए दुर्बोध होती है और उनमें हिन्दी के प्रति अरुचि जागृत कर सकती है । माध्यमिक श्रेणियों तक तो साहित्य की शिक्षा अहिन्दी भाषा-भाषियों को नहीं देनी चाहिए ।

द्वितीय भाषा हिन्दी के अध्यापन में सांस्कृतिक समस्या भी उपस्थित होती है । संस्कृति विशेष की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से वह स्पष्ट होता है । हिन्दी का विकास उत्तर भारत की संस्कृतिक पृष्ठभूमि पर हुआ । अतः हिन्दी साहित्य में इसकी झलक अधिक मात्रा में प्राप्त होती है । इसलिए द्वितीय भाषा-भाषियों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर हिन्दी पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए ।

ज्ञान-विज्ञान का विकास, भौतिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के कारण पाठ्यक्रम की मूलभूत मान्यताओं में भी अन्तर आ गया है और

इनके नव निर्माण के कारण प्रचलित पाठ्यक्रमों में दोष दिखाई देने लगे हैं । शिक्षा के इन आधारों की नवीन माँगों, को देखते हुए माध्यमिक पाठशालाओं में दी जानेवाली अवधि को बढ़ाने की माँग स्वाभाविक ही होगा ।

8 वीं कक्षा के हिन्दी पाठ्यक्रम की आलोचना करने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी पढ़ाने के किन उद्देश्यों को प्रतिपादन किया है ।

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने माध्यमिक कक्षाओं के लिए निम्न लिखित उद्देश्यों का प्रतिपादन किया है । आठवीं से दसवीं कक्षा तक तीन अन्तर निश्चित है ।

आन्ध्र प्रदेश सरकार से निर्धारित
द्वितीय भाषा हिन्दी का पाठ्यक्रम :

उच्च माध्यमिक कक्षाओं (8 वीं से 10 वीं तक) के लिए सप्ताह में तीन घण्टे होंगे ।

उद्देश्य :

(1) छात्र साधारण भाषा में अपने विचारों को प्रकट करके वार्तालाप करने के योग्य बनें ।

(2) छात्र हिन्दी की सरल पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएँ तथा रेडियो भाषण आदि पढ़कर या सुनकर समझ सकें ।

(3) छात्र शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से लिख सकें ।

उच्च माध्यमिक कक्षा के अन्त तक छात्र वार्तालाप करने तथा निजी एवं व्यावहारिक पत्र व्यवहार करने योग्य बनें । छात्रों में अर्थग्रहण करने की शक्ति आ जाए ।

व्याकरण शिक्षा में अध्यापक सतर्क रहें । छात्र की मातृभाषा एवं हिन्दी के अंतर्गत आनेवाले मुहावरें, संरचना आदि की तुलनात्मक अध्ययन करें ।

पाठ्य पुस्तकों का निर्माण ऐसा हो कि उसमें 8 वीं से लेकर 10 तक के लिए व्याकरण/पाठ्य के क्रमानुसार रहे और प्रत्येक पाठ के अंत में पर्याप्त व्याकरण के अभ्यास रहे ।

8 वीं कक्षा का पाठ्यक्रम

इस कक्षा के लिए पाठ्य-पुस्तक निश्चित किया गया है । आधुनिक लेखकों एवं कवियों के आधुनिक सरल गद्य एवं पद्य की रचनाएँ इसमें हैं, 60 पृष्ठ गद्य के लिए और 10 पृष्ठ पद्य भाग के लिए निश्चित किये गये हैं ।

गद्य भाग :- पाठ्यपुस्तक के 60 पृष्ठों में कुल 20 पाठों की व्यवस्था की गयी है, ये पाठ वैज्ञानिक खोज, राष्ट्रीय नेताओं की जीवनियाँ, प्राकृतिक वस्तुओं, साहसपूर्ण कार्यों, यात्रा वर्णन, ऐतिहासिक घटनाओं, सहकार्य, रिती रिवाज, पर्व एवं संवादात्मक विषयों पर ब होने चाहिए । इनके अतिरिक्त व्यावारिक, निजी कार्य एवं निर्यंत्रणात्मक ऐसे पत्र जो मित्रों तथा संबंधियों के नाम की भी व्यवस्था है ।

पद्य भाग :- इस पुस्तक के पद्य भाग के आठ आधुनिक एवं सरल कविताओं से युक्त होने की अपेक्षा की गयी है । प्रत्येक कविता दस पंक्तियों से अधिक की नहीं होनी चाहिए और 80 पंक्तियों में से 40 पँक्तियाँ कंठस्थ करने योग्य होनी चाहिए ।

व्याकरण :- व्याकरण के नियम एवं सिद्धान्त आदि बताने की आवश्यकता नहीं है । छात्रों को काल, क्रिया, विशेषण, कारक आदि का शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त है । इसके अतिरिक्त सर्वनामों, लिंग वचन, अपूर्ण सहायक और संयुक्त क्रियाओं को जानने की योग्यता भी रखना चाहिए ।

लेखन कार्य :- सुलेख एवं अनुवाद करवाया जाना चाहिए । पुस्तकीय पाठों के अंत

में पाठ एवं व्याकरण से संबंधित अभ्यासमाला की भी व्यवस्था होनी चाहिए । व्याकरण एवं विषय संबंधी अभ्यास पाठ के अंत में होने चाहिए ।

8 वीं कक्षा के छात्रों के हिन्दी अधिगम संबंधी समस्याओं एवं कठिनाइयों को जानने के लिए इन छात्रों को पढ़ाने वाले अध्यापकों से उनके पाठ्यक्रम के संबंध में विचार प्रकट करने का आग्रह किया गया है । क्योंकि भाषा अधिगम में पाठ्यक्रम एक सहायक साधन है । इसका प्रभाव छात्रों के अधिगम पर अवश्य रहता है ।

8 वीं कक्षा के हिन्दी पाठ्यक्रम पर 53.44 प्रतिशत अध्यापकों ने यह विचार प्रकट किया है कि आठवीं कक्षा के छात्रों का हिन्दी स्तर कम होने के कारणों से पाठ्यक्रम का दोषपूर्ण होना भी एक कारण है । इस मत को अध्यापकों ने अध्यापक विश्लेषण संख्या-44 में प्रकट किया है । विश्लेषण संख्या-45 में अधिकांश अध्यापकों ने हिन्दी पाठ्यक्रम को शिक्षण के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं माना है । विश्लेषण प्रश्न संख्या 83 में इन अध्यापकों ने यह बताया है कि पाठ्यक्रम के निर्माण में अनुभवी अध्यापकों की सहायता नहीं ली गई हैं । इन अध्यापकों का प्रतिशत 52.67 है । परंतु छात्रों के मौखिक साक्षात्कार सूची-24 में छात्रों ने पाठ्यक्रम को सरल माना है । पाठ्य पुस्तक संबंधी विचारों को प्रकट करते हुए छात्रों ने हिन्दी पाठ्यपुस्तक के स्तर को ऊँचा कहा है । इससे यह स्पष्ट होता है कि छात्रों को हिन्दी पाठ्यक्रम संबंधी ज्ञान बहुत कम है । इसका यह कारण है कि द्वितीय भाषा हिन्दी पाठ्यपुस्तकों के प्रारंभिक पृष्ठों में पाठ्यक्रम का निर्देश होना आवश्यक है जो नहीं हुआ है । जबतक छात्रों को अपना गम्य मार्ग का पता नहीं चलता है तबतक वे पाठ्यपुस्तक पढ़ने के उद्देश्यों के बारे में धुंधले विचार ही रखते हैं । इसीलिए पाठ्यक्रम का निर्माण क्रमबद्ध

ओ और निर्दिष्ट भाषा सूत्रों के अनुरूप होना चाहिए । इस मत को 41·98 प्रतिशत अध्यापक उनकी विश्लेषण सूत्री-84 में स्वीकार किया है । प्रस्तुत पाठ्यक्रम 8 वीं कक्षा के छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप नहीं दीखता । कारण यह है कि 7वीं कक्षा के पाठ्यक्रम एवं आठवीं कक्षा के पाठ्यक्रम में कोई विशेष अन्तर नहीं है । पाठ्यक्रम के निर्माण में छात्रों के मानसिक स्तर को दृष्टि में रखना आवश्यक है । इससे छात्रों को भाषा ज्ञान स्तरानुसार देने में सहायक होता है । अध्यापकों के विश्लेषण संख्या -46 में 66·03 प्रतिशत अध्यापकों ने प्रस्तुत पाठ्यक्रम को छात्रों के मानसिक आयु के अनुरूप नहीं माना है ।

छात्रों की मानसिक आयु के साथ साथ यह भी सोचना चाहिए कि पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का अनुसरण कहाँ तक हुआ है । अधिकतर हिन्दी पुस्तकों के पाठ संकलित हैं । इन पाठों की रचना अहिन्दी छात्रों से भिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर रचे हुए हैं । लेखक इन पाठों में स्थल, संदर्भ और जनता की मानसिक भावनाओं को अपने प्रदेश की भाषा, सांस्कृतिक आचार विचारों के आधार से प्रकट करता है । इनको समझना अहिन्दी छात्रों के लिए कठिन कार्य होता है । प्रायः इसीको दृष्टि में रखकर अधिकांश आन्ध्र प्रान्त मे हिन्दी अध्यापकों ने अपने विश्लेषण उत्तर संख्या-47 में इस मत को स्वीकार किया है कि आन्ध्र प्रदेश के पाठ्यक्रम में स्थानीय पुट का समावेश होना आवश्यक है । इन अध्यापकों का प्रतिशत 72·52 है । इन अध्यापकों ने स्थानीय पुट की आवश्यकता पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहते हैं कि इसके परिवेश में अध्यापक को तुलनात्मक अध्ययन करने का मौका मिलता है । इस विचार को अध्यापकों ने विश्लेषण संख्या-85 में प्रकट किया है । इनका प्रतिशत 45·42 है । इसके साथ ही साथ अधिक संख्यक अध्यापकों

का मत है कि भाषागत सिद्धान्तों का ध्यान नहीं रखने के कारण पाठ्यक्रम में भाषागत कौशलों का अभाव है। इन अध्यापक प्रत्युत्तरदाताओं का प्रतिशत 37·40 और विश्लेषण उत्तर संख्या -86 है ।

इन कारणों को दृष्टि में रखकर अधिकांश अध्यापक 8वीं कक्षा के हिन्दी पाठ्यक्रम में परिवर्तन चाहते हैं । इन अध्यापक प्रत्युत्तरदाताओं की विश्लेषण संख्या 49 और प्रतिशत 66·41 है ।

8वीं कक्षा से सम्बन्धित इन पाठ्यक्रम सम्बन्धी कठिनाइयों को अध्ययन करने से यह पता चलता है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग भी निम्न पाठ्यक्रमीय समस्याओं को प्रस्तुत किया है ।

(1) पाठ्यक्रम बहुत संकुचित है ।

(2) इसका निर्माण विषय के रूप से कालेजों में प्रवेश पाने के लिए किया गया है ।

(3) यह पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक बल देता है ।

(4) पाठ्यक्रमों के विषय प्रायः शैक्षणिक और सैद्धान्तिक है ।

(5) पाठ्यक्रमों का निर्माण विशेषज्ञ अपनी दृष्टि से करते है, न कि छात्रों के दृष्टिकोण से ।

(6) इसके पाठ्य विषय अनावश्यक तथ्यों और महत्वहीन विवरणों से भरे हुए हैं ।

(7) इसमें छात्रों की रुचियों, आवश्यकताओं और वैयक्तिक विभिन्नताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है ।

(8) ये परीक्षाओं से पूर्णतः अधिकृत हैं ।

(9) इनमें तकनीकी तथा व्यवसायिक विषयों का अभाव है ।

(10) इसका छात्रों के वातावरण और वास्तविक एवं व्यवहारिक जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

इन कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए माध्यमिक आयोग ने इस सम्बन्ध में अपने सुझाव प्रस्तुत किये हैं ।

8वीं कक्षा में पढ़नेवाले तेलुगु भाषा-भाषी छात्रों के हिन्दी अधिगम में पाठ्यक्रम का स्थान एवं बाधक तथ्यों को प्राप्त दत्त के आधार पर प्रस्तुत किया गया है । आगामी अध्याय में इन कठिनाइयों को दूर करने के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किये जायेंगे ।

2 हिन्दी पाठ्य-पुस्तक समस्या का अध्ययन :

पाठ्यपुस्तक आधुनिक शिक्षा प्रणाली का प्रमुख आधार है । पुस्तकों में अतीत और वर्तमानकाल का ज्ञान संचित होने से इनका महत्व स्वीकार किया गया है । पुस्तकें विद्यार्थियों एवं अध्यापकों को समान रूप से सहायता करती हैं । पुस्तकों की उपयोगिता को दृष्टि में रखकर विश्वविद्यालय तथा शिक्षा मंडल भिन्न-भिन्न परीक्षाओं के लिए निर्धारित करती है । अतः पाठ्यपुस्तकें छात्रों एवं अध्यापकों के लिए मार्गदर्शन करती हैं । निर्धारित पाठ्यक्रम की पूर्ति पाठ्यपुस्तक के द्वारा होती है । पाठ्यपुस्तक छात्रों के ज्ञान की सीमा निर्धारण करती हैं । वर्षभर में क्या पढना चाहिए, इसका उत्तर पाठ्यपुस्तक देती हैं । किसी विशेष स्तर को बनाये रखने में पाठ्यपुस्तक अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होती है । पाठ्यपुस्तक की अनुपस्थिति में शिक्षण सुचारु ढंग से नहीं दे सकते हैं । इसलिए आधुनिक शिक्षा जगत में पाठ्यपुस्तक का सराहनीय महत्व है ।

पाठ्यपुस्तकों का उद्देश्य :

पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम के उद्देश्य पूर्ति करने हेतु निर्धारित किया जाता है। पाठ्यपुस्तकें शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करनेवाली होती है । पाठ्य-पुस्तकों के दो सामान्य उद्देश्य होते हैं (1) पाठ्यसामग्री एवं ज्ञान का संरक्षण और (2) सुरक्षित पाठ्यसामग्री एवं ज्ञान को पाठकों तक पहुँचाना । पाठ्य-पुस्तकों के ये काम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं । लेखक या अध्यापक पाठ्य सामग्री को पुस्तकों में सुरक्षित कर देते हैं । इसी सुरक्षित ज्ञान को छात्र पाठ्यपुस्तक के द्वारा पढते हैं । पाठ्यसामग्री के साथ साथ छात्र भाषा-शैली से भी परिचित हो जाते हैं । लेखन-शैलियों की विविधता छात्रों में ज्ञान का विकास कर देता है । छात्र इनसे नवीन शब्दावली, शब्द-गठन, विधि, वाक्य समायोजना, भाषा आदि से भी परिचित हो जाते हैं और उनका उपयोग ये स्वयं करने में समर्थ हो जाते हैं । छात्रों की भावाभिव्यंना में स्पष्टता आ जाती है और उनका व्यक्तित्व निखर उठता है ।

पाठ्यपुस्तकों का दूसरा उद्देश्य= पाठ्यक्रम को छात्रों एवं अध्यापकों तक पहुँचाना होता है । कई बार तो पाठ्यक्रम के स्थान पर पाठ्यपुस्तक को ही निर्धारित कर दिया जाता है । पाठ्य-पुस्तकें भाषा सम्बन्धी सांस्कृतिक उद्देश्य को भी पूरा करती है । इसके भीतर समाज के सांस्कृतिक जीवन की झलक मिलती है, साथ ही सामाजिक रीति-रिवाज, आकांक्षाएँ एवं राष्ट्रीय चरित्र का भी दिग्दर्शन होता है ।

पाठ्यपुस्तकों के प्रकार :

विश्वविद्यालयों में भाषा-शिक्षण के लिए जो पुस्तकें निर्धारित की जाती हैं वे प्रायः दो प्रकार की होती हैं :

(1) विस्तृत अध्ययन के रूप में

(2) सहायक पुस्तक के रूप में ।

(1) विस्तृत अध्ययन के रूप में जो पुस्तकें होती है, उनसे हमारा प्रयोजन छात्रों का शब्द भण्डार तथा सूक्ति भण्डार को बढ़ाना । दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि जिन शब्दों, सूक्तियों तथा लोकोक्तियों का समावेश विस्तृत अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में होता है ।

(2) सहायक पुस्तकों को हम द्रुत-वाचन की पुस्तकें भी कहते हैं । यहाँ हमारा प्रयोजन शब्दार्थ समझाना और शीघ्रगति से वाचन का अभ्यास कराना है । छात्र जल्दी से जल्दी पुस्तक पढ़कर भावार्थ समझ लें, यही इस प्रकार की पुस्तकों का उद्देश्य हैं । कहीं कहीं आवश्यकता पड़ने पर छात्र अध्यापक की सहायता ले सकते हैं और इस प्रकार की पुस्तकों से छात्रों को शब्दकोश देखने की आदत पड़ जाती है ।

पाठ्यपुस्तकों के अपेक्षित गुण :

साधारणतः पाठ्यपुस्तकों के अपेक्षित गुणों का अध्ययन भी दो प्रकार से किया जाता है ।

(1) बाह्य रूप की दृष्टि से (2) आंतरिक रूप कीदृष्टि से ।

(1) बाह्य रूप में पाठ्यपुस्तक का आवरण, छपाई, आकार-प्रकार रूप-रंग आदि गुण आ जाते हैं ।

(2) आंतरिक रूप में भाषा-शैली, पाठ्य विषय, रोचकता आदि गुण आ जाते हैं ।

शोधकर्ता ने यहाँ पर आन्ध्र प्रदेश सरकार से निर्धारित 8 वीं कक्षा की

पाठ्यपुस्तक की आलोचना करना उचित समझा है । इससे भाषा अधिगम संबंधी कठिनाइयों को उपर्युक्त सिद्धान्तों/ के परिपेक्ष में आंका जा सकता है ।

8 वीं कक्षा हिन्दी (द्वितीय भाषा) पाठ्यपुस्तक
की आलोचना :

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने तेलुगु भाषी छात्रों के लिए हिन्दी भारती भाग-4 को द्वितीय भाषा के रूप में निर्धारित किया है । यह पुस्तक आन्ध्र के छात्रों के लिए भी एकीकृत पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित है ।

इस पुस्तक को आधार मानकर हिन्दी अध्यापकों को छात्रों के भाषा-अधिगम संबंधी विचार प्रकट करने का आग्रह किया गया है और इसको आधार मानकर 960 छात्रों की भाषा उपलब्धि परीक्षण लिया गया है और निम्न अंक प्राप्त किए । नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के 320 छात्रों से मौखिक साक्षात्कार किया गया है ।

आठवीं कक्षा की हिन्दी पाठ्यपुस्तक का आलोचना प्राप्त दत्त की परिवेक्षा में की जाती है ।

उद्देश्य :-

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने हिन्दी भारती-4 के पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप स्वीकार किया है ।

परन्तु अधिक संख्यक हिन्दी अध्यापकों ने अध्यापक विश्लेषण संख्या-87 में यह मत प्रकट किया है कि पाठ्यपुस्तक के निर्माण में निर्दिष्ट उद्देश्यों का ध्यान नहीं दिया गया है । इन अध्यापक बन्धुओं का प्रतिशत 48·09 है । यह निर्विवाद अंश है कि पाठ्यपुस्तक हमेशा पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए । भाषा

अधिगम के साथ साथ समाज की सांस्कृतिक जीवन की झलक उसमें मिलें । अध्यापकों के इस उत्तर से यह ज्ञात होता है कि प्रस्तुत पुस्तक में भाषा अधिगम के उद्देश्य दिखाई नहीं देते । संपूर्ण पुस्तक विषय प्रधान व्यक्त होती है । छात्रों को किसी प्रत्येक विषय का ज्ञान देने के हेतु पुस्तक का निर्माण किया गया है । इस पुस्तक के अध्ययन से ये बातें हमारे सामने आती हैं । दूसरे अर्थ में पाठ्यपुस्तक जब उद्देश्य रहित होती है तो अध्यापक उसकी सहायता से छात्रों को वांछित ज्ञान नहीं दे सकते हैं । अध्यापक विश्लेषण संख्या-5। में 54·96 अध्यापकों ने इस मत को स्वीकार किया है कि 8 वीं कक्षा की हिन्दी पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम के अनुरूप नहीं है ।

पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम के उद्देश्य के अनुरूप नहीं होना छात्र और अध्यापक दोनों के लिए भी समस्याजनक है । अध्यापक के सामने कोई निर्दिष्ट उद्देश्य नहीं रहता है इसलिए वह छात्रों को गन्तव्य स्थान तक ले जाने में विफल हो जाते हैं । 8 वीं कक्षा का यह पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम के अनुरूप नहीं लिखा जाना एक बड़ा दोष एवं छात्रों के भाषा अधिगम में रुकावट पहुँचानेवाला एक प्रधान कारण माना जाता है ।

। बाह्य रूप :

8 वीं कक्षा हिन्दी पुस्तक के बाह्य रूप पर उत्तर विश्लेषण सूची-89 में 46·95 प्रतिशत हिन्दी अध्यापकों ने यह विचार प्रकट किया है कि पुस्तक की बाहरी सजावट आकर्षक नहीं है क्योंकि बाहरी आकर्षण के प्रति सरकार जागरूक नहीं है ।

यह ठीक है कि पाठ्यपुस्तक के आंतरिक रूप के साथ ही साथ बाहरी रूप का भी बहुत कुछ प्रभाव छात्रों के मन पर पड़ता है । पाठ्यपुस्तक का आवरण अथवा मुखपृष्ठ को देखते ही छात्र-छात्राओं में उसे खरीदकर पढ़ने की आकांक्षा

उत्पन्न होनी चाहिए । बाल-मनोविज्ञान का यह तथ्य है कि छोटी कक्षाओं के छात्र सुंदर और रंग-बिरंगे आवरण पसंद करते हैं । बड़ी कक्षाओं के छात्रों को सादा परंतु आकर्षक मुख-पृष्ठ बहुत भाता है । पुस्तक के मुखपृष्ठ का चित्र किसी ध्येय की पूर्ति करने वाला हो तो बालकों के लिए वह कौतुहलजनक होता है ।

आवरण के साथ साथ छात्रों पर पाठ्यपुस्तक के कागज़ का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है । पाठ्यपुस्तकों का कागज़ चमकदार और पतला होना चाहिए । भद्दा और मोटा कागज़ अनासक्त का कारण बनता है । ऐसे कागज़ पर न तो मुद्रण ठीक हो सकता है और न ही वर्ण एवं चित्र सुन्दर दिखाई देते हैं । कागज़ जल्दी मैला होने पर भी पुस्तक का प्रभाव बालकों के मन पर बहुत ही कम होता है । मुद्रित अक्षर सुन्दर और सुडौल होने चाहिए ।

पाठ्यपुस्तक के बाहरी आवरण, कागज़ एवं छपाई के साथ ही साथ पुस्तकों की जिल्द सुन्दर और मज़बुत होनी चाहिए । मूल्य भी उचित होने से प्रत्येक बालक खरीद सकता है । बहुधा यह देखा जा सकता है कि निम्न कक्षाओं के पुस्तकों का आवरण पतला होने के कारण एक वर्ष में दो या तीन बार प्रत्येक विषय की पुस्तकें माता-पिता को दिलवानी पड़ती है ।

इन गुणों के परिवेश में 8 वीं कक्षा की हिन्दी पाठ्यपुस्तकें के बाहरी गुणों पर प्रकाश डालने से यह पता चलता है कि 8 वीं कक्षा की हिन्दी पुस्तक का बाहरी रूप अनाकर्षक है । पुस्तक का कागज ठीक नहीं है । पुस्तक में कई चित्र, रेखा-चित्र होने के कारण अनाकर्षक है । यह पुस्तक आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्रकाशित है । पुस्तक का मूल्य साधारण ही है ।

<u>आंतरिक गुण</u> :-

पुस्तक के बाह्य गुणों को देखकर ही बहुत से लोग पुस्तक के भीतरी

रूप का भी पता लगा लेते हैं । इसीलिए बाहर और भीतरी गुण एक दूसरे के पूरक होने चाहिए । भीतरी रूप में निम्न बातों एवं सिद्धान्तों का ध्यान रखना चाहिए । इन गुणों की उपस्थिति से पुस्तक की उपादेयता बढ़ जाती है ।

पाठ्यपुस्तक के स्तर के संबंध में 62·60 प्रतिशत अध्यापकों ने उत्तर विश्लेषण सूची-52 में यह विचार प्रकट किये हैं कि 8 वीं कक्षा की हिन्दी पुस्तक छात्रों के स्तर को दृष्टि में रखकर नहीं लिखी गई है ।

इस उद्देश्य का समर्थन 53·13 प्रतिशत छात्रों ने मौखिक साक्षात्कार विवरण सूची-25 में स्वीकार किया है । इससे यह पता चलता है कि पुस्तक का स्तर ऊँचा है । शायद यही कारण होगा कि छात्रों के साक्षात्कार विवरण सूची-17 में छात्रों ने यह विचार प्रकट किया है कि हिन्दी उनके लिए सरल विषय नहीं है । इन दोनों के समर्थन में छात्रों की भाषा उपलब्धि-परीक्षण भी साक्षी है ।

छात्रों की भाषा उपलब्धि-परीक्षण से भी यह ज्ञात होता है कि छात्रों का पुस्तकीय ज्ञान तृप्तिदायक नहीं है । छात्रों की उपलब्धि परीक्षण का दूसरे प्रश्न का संबंध छात्रों के पुस्तकीय ज्ञान से है । संपूर्ण उपलब्धि विश्लेषण सूची के अनुसार नगरीय छात्र तथा छात्राओं ने इस प्रश्न में 13·50 और 9·83 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं और ग्रामीय छात्र तथा छात्राओं का प्रतिशत 9·17 तथा 7·04 है । यह प्रतिशत छात्रों की औसत प्रतिशत 15·71 से बहुत कम है और आन्ध्र प्रदेश सरकार से निर्धारित 20% अंकों से भी कम होने के कारण यह कहा जा सकता है कि छात्रों का पुस्तकीय ज्ञान एवं लेखन-कौशल का स्तर तृप्तिदायक नहीं है ।

इस संबंध में कुछ आगे सोचने से यह पता चलता है कि पाठ्यपुस्तक का चयन ठीक नहीं है । पुस्तक को स्तर के अनुकूल बनाने में पाठ्यपुस्तक चयन-समिति

का भी पर्याप्त महत्व होता है । इसपर 50·38 प्रतिशत अध्यापकों ने यह विचार अध्यापक उत्तर विश्लेषण संख्या-55 में प्रकट किये हैं । इन अध्यापकों का कहना है कि अनुभवी अध्यापकों को 'पाठ्यपुस्तक चयन समिति' में स्थान न देने के कारण पाठ्यपुस्तक के पाठों का चयन ठीक नहीं हुआ है । इस विचार को 42·36 प्रतिशत अध्यापकों ने विश्लेषण सूची-88 में बता दिया है । पाठ्यपुस्तक में पाठों का चयन सावधानी से करना चाहिए । चयन-समिति में 8 वीं कक्षा को पढ़ानेवाली अनुभव अध्यापकों को स्थान देने से छात्रों की अधिक व्यवहारिक कठिनाइयाँ दूर हो सकती हैं । इसके साथ ही साथ अध्यापकों ने यह भी बड़ा बात कह दी कि पाठ्यपुस्तक के लेखक को हिन्दी भाषा के साथ ही साथ छात्रों की मातृभाषा तेलुगु जानना भी आवश्यक है । इस मत को 81·68 प्रतिशत अध्यापकों ने अध्यापक विश्लेषण संख्या-53 में स्वीकार किया है ।

अध्यापकों का यह विचार बहुत ही प्रशंसनीय है क्योंकि उनके विचार में पाठ्यपुस्तक लेखक की मातृभाषा छात्रों की मातृभाषा से भिन्न होने पर उनके सामने कठिनाई उपस्थित होती है । छात्रों की मातृभाषा का प्रभाव हिन्दी अधिगम में किस क्षेत्र पर पड़ता है इसको जानना कठिन हो जाता है । इसके अज्ञान में लेखक शब्द चयन, वाक्य-संरचना आदि में छात्रों को न्याय नहीं पहुँचा सकता । इसलिए लेखकों को छात्रों की मातृभाषा से परिचय प्राप्त करना आवश्यक है ।

इन उत्तरदाताओं ने इसका कारण यह बताया है कि लेखक पुस्तक के पाठों में तेलुगु तथा हिन्दी का तुलनात्मक अध्ययन करेगा और छात्रों के स्वाभाविक शंकाएँ दूर करेगा । यह विचार ठीक ही जान पड़ता है । इस विचार को 43·89 प्रतिशत अध्यापक, विश्लेषण उत्तर संख्या-90 में प्रकट किया है ।

विषय वस्तु :

8 वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक हिन्दी भारती-4 आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्रकाशित हैं । इस पुस्तक में कुल 28 पाठ हैं । इसमें 21 गद्य पाठ और 7 कविता पाठ हैं । सभी पाठों के लेखक अलग अलग हैं । ये पाठ आठवीं कक्षा के छात्रों को उद्देश्य मानकर नहीं लिखे गये हैं । परंतु इन लेखकों के पाठों का चयन सरकार ने छात्रों के साधारण स्तर को दृष्टि में रखकर किया गया है जो शिक्षा सिद्धान्तों के आधार से अमनोवैज्ञानिक है । गद्य पाठों में 2 भक्ति संबंधी, 3 सामाजिक, 2 ऐतिहासिक, 2 वर्णन प्रधान, 3 महापुरुषों की जीवनी से संबंधित, एक व्यापारिक, एक कवि जीवनी, एक खेलकूद संबंधी, एक त्योहार, एक विज्ञान, एक स्मृति, एक स्वास्थ्य, एक युद्ध वर्णन और एक पत्र-लेखन संबंधी पाठ हैं । इन पाठों में से अधिकांश पाठ निबंधात्मक हैं । एकांकी तथा कहानियों का संग्रह इस पुस्तक में नहीं हुआ है । बालकों के मन को आकर्षित करनेवाले पाठ इस पुस्तक में बहुत कम हैं ।

इन पाठों के विषय विश्लेषण करने से यह पता चलता है कि इस पुस्तक में अधिकांश पाठ निबंधात्मक होने के कारण छात्र इन पाठों को बड़े पढ़ने में रुचि एवं ध्यान नहीं दिखाते हैं । अध्यापक विश्लेषण संख्या-59 में भी 45.42 प्रतिशत अध्यापकों ने इसको स्वीकार किया है । उन्होंने विश्लेषण संख्या-96 में इसका कारण यह बताया है कि पाठ्यपुस्तक में पाठों का चयन छात्रों की रुचि, ध्यान आदि बातों के आधार पर नहीं हुआ है ।

गद्य पाठों में तिरुपति की यात्रा, श्रीकृष्ण देवराय और आन्ध्र केसरी आदि प्रान्तीय विषय से संबंधित है । अधिकांश अध्यापकों ने इस बात को मान लिया है कि 8 वीं कक्षा की पुस्तक में तेलुगु संस्कृति एवं आचार विचारों का पुट है । इन उत्तरदाताओं का प्रतिशत 61.07 है जिनका प्रश्न संख्या-58) ।

46·95 प्रतिशत अध्यापकों ने विश्लेषण संख्या-95 में इस मत की पुष्टि की है । उनके मतानुसार छात्र नई भाषा के द्वारा अपनी संस्कृति एवं आचार विचारों को पढ़कर खुश होते हैं । इससे छात्रों को एक प्रकार का प्रोत्साहन ~~मिलता~~ मिलता है । अध्यापकों का यह विचार शोधपूर्ण एवं तर्क संगत भी है ।

अध्यापकों के विश्लेषण उत्तर संख्या-9। में अधिक संख्यक अध्यापकों ने यह विचार प्रकट किया है कि आन्ध्र प्रान्त के आठवीं कक्षा में पढ़नेवाले तेलुगु छात्र पुस्तक की प्राचीन कविताओं को समझ नहीं सकते हैं । इनका प्रतिशत 42·75 है । इसको छात्रों ने भी मौखिक साक्षात्कार विवरण सूची-27 में समर्थन किया है । इन छात्रों का प्रतिशत 52·19 है ।

प्राचीन कविताओं को पुस्तक से ~~ह~~ हटाने के ~~लि~~ पक्ष में अधिक संख्यक हिन्दी अध्यापकों ने अध्यापक विश्लेषण संख्या-54 में अपना विचार प्रकट किया है । इन अध्यापकों का प्रतिशत 59·16 है । छात्रों के मौखिक-साक्षात्कार विवरण संख्या-27 में 52·19 प्रतिशत छात्रों ने इस बात को स्वीकार करते हुए यह मान लिया है कि प्राचीन कविताएँ समझना उनके लिए कठिन कार्य है ।

भाषा उपलब्धि-परीक्षण से यह मालूम होता है कि आन्ध्र प्रान्त के ~~अ~~ मालूम होता है कि आन्ध्र प्रान्त के ~~छ~~ छात्र प्राचीन कविताओं को ही नहीं बल्कि नवीन कविताओं को भी समझ नहीं पाते हैं । उपलब्धि-परीक्षण की प्रश्न संख्या-3 कविता के भाव लिखने का है । परंतु अधिकांश छात्र इस प्रश्न को छोड़ ही दिया है । इस प्रश्न में कुल संपूर्ण उपलब्धि-परीक्षण की विश्लेषण सूत्री के अनुसार नगरीय छात्र तथा छात्राओं ने ।·04 और 0·38 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं । उसी प्रकार ग्रामीण छात्र तथा छात्राओं ने 0·33 तथा 0·29 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं । छात्रों के ये अंक प्रतिशत संपूर्ण औसत प्रतिशत ।5·7। से भी बहुत कम हैं और

आन्ध्र प्रदेश सरकार से निर्धारित अंकों से भी तुलना में बहुत कम है । इससे यह प्रमाणित होता है कि छात्रों को हिन्दी पुस्तक की प्राचीन तथा नवीन कविताएँ समझ में नहीं आती हैं ।

यह बात ठीक ही है कि जो छात्र हिन्दी के साधारण गद्य नहीं पढ़ सकते हैं उनको कविता की अलंकारिक भाषा समझना एक कठिन कार्य है । यहाँ तक कि छात्रों के मौखिक-साक्षात्कार विवरण सूची-26 में छात्रों ने अपनी पुस्तक के गद्य पाठों के स्तर को भी ऊँचा समझा है । इन छात्रों का प्रतिशत 56·56 है ।

ऐसे छात्रों को हिन्दी की उपभाषाएँ खड़ी बोली, ब्रज, अवधि आदि की कविताओं के न तो भाव ग्रहण कर सकते हैं और न ही उच्चारण ठीक प्रकार से कर सकते हैं । इतना ही नहीं अर्थनिष्पत्ति में भी छात्रों को कठिनाई होती है और इन सबके कारण छात्र हिन्दी विरोधी बन जाते हैं और अध्ययन में रुचि नहीं लेते हैं । प्राचीन कविताओं का ज्ञान छात्रों के लिए आवश्यक होने पर भी इस कक्षा के छात्रों के लिए यह अनावश्यक ही सिद्ध होगा । आधुनिक कविताओं में भी सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला की 'भिक्षुक' कविता आठवीं कक्षा के स्तर से ऊँची है । ऐसी कविताएँ इस कक्षा के छात्रों को भाषा सीखने में बाधक सिद्ध होती है ।

पाठ्यपुस्तक की भाषा एवं शैली :

हिन्दी भारती-4 पुस्तक की भाषा पर हिन्दी अध्यापकों का यह मत है कि छात्रों की भाषायी ज्ञान को बढ़ाने में यह पुस्तक सहायक नहीं है । अध्यापक विश्लेषण-सूची संख्या-57 में अधिकांश अध्यापकों ने इस मत को प्रकट किया है । इनका प्रतिशत 63·74 है । छात्रों ने मौखिक साक्षात्कार विवरण सूची-26 में भी पुस्तक के गद्य पाठों को उनके भाषायी स्तर से ऊँचे माने हैं । इन छात्रों का प्रतिशत 56·56 है ।

इस पाठ्यपुस्तक में अधिकतर पाठ निबंधात्मक होने के कारण एक ही प्रकार की भाषा का प्रयोग होने का आभास मिलता है । इसके अतिरिक्त भाषा शैली में अधिक विविधता दिखाई नहीं देती है ।

इस कक्षा की पुस्तक में कहीं कहीं ऐसे शब्दों के प्रयोग मिलते हैं जिनको बालक समझना बहुत ही मुश्किल है । इसका कारण यह है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार से द्वितीय भाषा छात्रों के स्तरानुसार कितना शब्द भण्डार सिखाना चाहिए इसका कोई निश्चय नहीं हुआ है इसके अतिरिक्त पुस्तक के सभी पाठ संकलित होने के कारण शब्दों का यथेष्ट प्रयोग हुआ है । ये पाठ 8 वीं कक्षा के छात्रों को दृष्टि में रखकर नहीं लिखे गये हैं । इसके साथ ही साथ पाठ्यक्रम में इनका निर्धारण भी कहीं नहीं हुआ है । वास्तव में यह शिक्षा मनोविज्ञान एवं सिद्धान्तों के विपरीत दृष्टिकोण है । पुस्तक में शब्दों का प्रयोग स्तरानुसार तथा क्रमानुसार भी नहीं है । पुस्तक में कुछ ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग हुआ है जिनको 8 वीं कक्षा में पढ़नेवाले आन्ध्र के छात्रों को समझना बहुत ही कठिन कार्य है ।

उदाहरणार्थ :- उत्कर्ष, उपलक्ष्य, ग्रीष्मावकाश, जलप्रपात, आत्म अनुशासन, अस्तेय, अपरिग्रह, सहिष्णुता, मंत्रणा, वारिधर, निर्वाचन, प्रविष्ठ, उपभोक्ता, मानसिक व्यथा, लकुटिया, उद्यत, अध्यवसाय, अनुसंधान, विस्फोट, ऊर्जा, आदि । इन शब्दों में अधिकतम संस्कृत के शब्द हैं । इन शब्दों के अर्थ के साथ साथ शुद्ध उच्चारण करना अभ्यास के अंतर्गत आता है ।

इन शब्दों के साथ ही साथ पुस्तक में कुछ ऐसे मुहावरों का प्रयोग हुआ है जिनको छात्र पढ़कर नवीनता का आभास पाते हैं ।

उदाहरण :- पत्तल चाटना, सही सलामत पहुँचना, घोषणा करना, त्राहि-त्राहि मचाना, सिर ऊँचा करना, कूट-कूट कर भरना, प्रफुल्लित होना, विस्तृत होना, जीवन लीला समाप्त करना, नष्ट-भ्रष्ट होना, अनुरोध करना, प्रविष्ट होना, अग्रसर होना आदि ।

इनको छात्र समझना और अपने वाक्यों में उन शब्दों को प्रयोग करना उनके स्तर की दृष्टि से कठिन है ।

साधारणतः भाषा की दृष्टि से सरल वाक्यों का प्रयोग कुछ हद तक हुआ है परंतु कहीं कहीं भाषा कठिन एवं दुरुह बन गई है । 'अणुशक्ति' एवं 'अंतिम इच्छा' नामक पाठों में कई मिश्र वाक्यों का प्रयोग हुआ है । और कहीं कहीं भाषा में लाक्षणिक प्रयोग भी हुआ है ।

उदाहरण (1) मिश्र वाक्य प्रयोग :-

"मुझे गर्व है इस शानदार उत्तराधिकारी का, मुझे यह अच्छी तरह मालूम है कि मैं भी अन्य सब लोगों की तरह इस जंजीर की एक कड़ी हूँ जो कभी टूटी नहीं है और जिसका सिलसिला हिन्दुस्तान के इतिहास के प्रारंभ से चला आ रहा है ।"

उदाहरण (2) :- "मैं चाहता हूँ कि इसे हवाई जहाज से ऊँचाई पर लेकर बिखर दिया जाये, उन खेतों पर जहाँ भारत के किसान परिश्रम करते हैं, जिससे वह भस्म भारत की मिट्टी में मिल जाये और उसी का अंश बन जाये ।" -
"अन्तिम इच्छा : पृ0 85

उपर्युक्त उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि इस पुस्तक के पाठ छात्रों के भाषा संबंधी ज्ञान को विकास करने में सहायक नहीं हैं । अध्यापक विश्लेषण संख्या-94 में 33·59 प्रतिशत अध्यापकों ने इस मत को स्वीकार किया है ।

इस पुस्तक के प्रत्येक पाठ के अन्त में भाषागत आवश्यक अभ्यास नहीं दिये गये हैं । इस विचार को विश्लेषण संख्या-92 में 38·93 प्रतिशत अध्यापकों ने स्वीकार किया है ।

इन कठिनाइयों को दृष्टि में रखकर अधिकांश अध्यापकों ने विश्लेषण संख्या-93 में पाठ्यपुस्तक का परिवर्तन आवश्यक समझा है । इन अध्यापक मतदाताओं का प्रतिशत 39·69 है ।

उपर्युक्त पाठ्यपुस्तक संबंधी कठिनाइयों के कारण 8 वीं कक्षा के छात्रों को भाषा अधिगम में, पाठ्यपुस्तक भी एक समस्या का रूप धारण किया है । इन कठिनाइयों को दूर करने के उपाय आगामी अध्याय में दिये गये हैं ।

3 शिक्षण विधि समस्या का अध्ययन

हिन्दी शिक्षण विधि के संबंध में विभिन्न भाषा शास्त्रियों के बीच विभिन्न मत हैं । प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक एच0 ई0 पामर का कहना है कि "भाषाभ्यास की श्रेष्ठ पद्धति वही है जो उद्देश्य की पूर्ति करती है । अतः हमें पहले यह जानना चाहिए कि हिन्दी भाषाभ्यास का वांछित उद्देश्य क्या है ?

इन विधियों का शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है । इनका उद्देश्य छात्रों को केवल कुछ बातों का ज्ञान प्रदान करना नहीं है, वरन् शिक्षक और छात्रों के पारस्परिक संपर्क में सजीवता लाना है । शिक्षण विधियाँ केवल छात्रों के मस्तिष्क पर ही नहीं वरन् उनके संपूर्ण व्यक्तित्व, कार्य, बुद्धि, भावना, मूल्यों और मनोवृत्तियों पर भी उनकीप्रति प्रतिक्रिया रहती है । जो विधियाँ मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण से उपयुक्त होती हैं वे छात्रों के समस्त गुणों के विकास करने में सहायक होते हैं ।

इसको दृष्टि में रखकर यह सोचा जाता है कि आन्ध्र प्रदेश में छात्रों को हिन्दी सीखाने का वह उद्देश्य नहीं है जो मातृभाषा भाषी को हिन्दी सिखाई जाती है ।

मातृभाषा के रूप में हिन्दी का शिक्षण जीवन की मौलिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए दिया जाता है ।

अहिन्दी प्रान्तों में हिन्दी सिखाने का जो उद्देश्य है वही आन्ध्र प्रदेश के छात्रों को हिन्दी सिखाने का है । मुख्यतः दो उद्देश्यों को दृष्टि में रखकर यहाँ हिन्दी सिखायी जाती है ।

(1) हिन्दी में मौखिक अथवा लिखित रूप में प्रकट किये गये विचारों को समझना ।

(2) हिन्दी के माध्यम से अपने विचारों को मौखिक अथवा लिखित रूप में प्रकट करना ।

ये दोनों प्रयोजन एक दूसरे से संबंध रखते हैं, फिर भी उनमें अन्तर है । पहला प्रयोजन दूसरे से अपेक्षाकृत सुगम है । अतः भाषा शिक्षण में इसको प्राथमिकता दी जाती है । इसके अंतर्गत दो क्षमतायें आती हैं सुनकर समझना और पढ़ना । इसके बाद वाले दूसरे - प्रयोजन के अंतर्गत भाषा की शेष दो क्षमतायें - बोलना और लिखना आ जाती हैं । इन दोनों में अभिव्यक्ति का रूप सामने आता है । इसलिए भाषा सीखाने में पहले सरल प्रक्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए बाद में जटिल प्रक्रियाओं पर ।

अन्य भाषा के रूप में हिन्दी शिक्षण के लिए जो विभिन्न पद्धतियाँ प्रचलित हैं उनमें प्रमुख है ।

(1) व्याकरण अनुवाद पद्धति ।

(2) प्रत्यक्ष पद्धति

(3) संरचनात्मक पद्धति ।

(4) व्याख्या पद्धति ।

1) इस पद्धति में व्याकरण के नियमों को सिखाया जाता है । मातृभाषा में अध्येय भाषा के अंशों का अनुवाद किया जाता है । इसमें मातृभाषा का प्रभाव अधिक होगा । इसमें भाषा की मूल कौशलों की प्राप्ति नहीं होगी । मौखिक भाषा नहीं सिखा सकते हैं । उच्चारण, लिपि के प्रभाव के कारण छात्र गलतियाँ करते हैं ।

2) दूसरी पद्धति में अन्य भाषा के साथ संपर्क प्रत्यक्ष रूप से होता है । इसमें अनुवाद, व्याकरण, नियमों को कंठस्थ करना आदि बातें नहीं होती है । इस पद्धति का मुख्य तत्व यह होता है कि भाषा के शब्दों तथा वाक्यों का उनके संदर्भों तथा अर्थों के साथ छात्रों के सम्मुख प्रकट किया जाता है । अर्थ को प्रत्यक्ष रूप से सिखाने की यह पद्धति वैज्ञानिक है ।

3) इस पद्धति में शब्दों की अपेक्षा भाषा के गठन पर बल दिया जाता है । इसकी सहायता से विशेष व्याकरणिक गठन का अभ्यास करवाया जाता है । यह अभ्यास विभिन्न प्रकार से बार बार कराया जाता है । इन अभ्यासों से छात्रों को सहज वातावरण में भाषा प्रयोग के कौशल आ जाते हैं ।

4) यह पद्धति बहुत प्राचीन पद्धति इसमें भावों एवं सिद्धान्तों की व्याख्या मात्र कर दी जाती है और छात्रों से आशा की जाती है कि व्याख्या की गई वस्तु को सीख लेंगे । यह पद्धति भाषा की अपेक्षा अन्य विषयों के लिए अधिक उपयोगी है ।

विलियम फैंसिस मैके ने भाषा सिखाने के पन्द्रह प्रकार की विधियों का उल्लेख किया है । इन विधियों का प्रयोग देश, काल और परिस्थितियों पर अवलम्बित हैं ।

शोधकर्ता ने जब आन्ध्र प्रान्त के छात्रों को हिन्दी पढ़ाने की शिक्षण विधियों के संबंध में प्रश्न पूछा गया है तो अधिकांश अध्यापकों ने अध्यापक विश्लेषण संख्या-42 में यह बताया है कि प्रारंभिक कक्षाओं में छात्रों को हिन्दी का शिक्षण ठीक तरह से नहीं दिया जा रहा है । इन प्रत्युत्तरदाताओं का प्रतिशत 90·08 है । इससे यह पता चलता है कि हिन्दी की कौनसी विधि अपनाये जाये, अध्यापक स्वयं नहीं जानते । इसलिए वे अपनी इच्छानुसार हिन्दी शिक्षण देते हैं । इससे अध्यापक किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाते हैं ।

यह बात ठीक ही प्रतीत होती है कि आन्ध्र प्रदेश में अध्यापक शिक्षण विधियों को अपने प्रशिक्षण अवधि में तो जान लेते हैं परन्तु उनकी सहज स्थिति का ज्ञान बहुत ही कम रखते हैं । इसके साथ ही साथ इस क्षेत्र में पढ़ानेवाले अध्यापक पाठ्यपुस्तक के विषय का ज्ञान देने के उद्देश्य से पढ़ाते है परन्तु भाषा कौशल की ओर उनका ध्यान नहीं जाता है । सरकार की ओर से, इस प्रान्त की कोई शैक्षणिक संस्था अथवा अनुसंधान संस्था की ओर से द्वितीय भाषा पढ़ाने की कौनसी विधि उपयुक्त है इस पर किसी प्रकार का शोध अभीतक नहीं हुआ है । अध्यापक विश्लेषण सूची-62 के अनुसार 74·05 प्रतिशत अध्यापकों का सर्वमान्य मत है कि हिन्दी शिक्षण प्रत्यक्ष पद्धति के द्वारा ही देना चाहिए ।

भाषा के इस वैज्ञानिक सिद्धान्त का ज्ञान हिन्दी के सभी अध्यापकों को है परन्तु उन्होंने विश्लेषण-संख्या-97 में यह बात मान लिया है कि आन्ध्र प्रान्त के छात्रों को हिन्दी का वातावरण कम प्राप्त है इसलिए वे प्रत्यक्ष पद्धति के द्वारा पाठ नहीं समझ सकते हैं । इन प्रश्नोत्तरदाताओं का प्रतिशत 62·60 है ।

इस बात का समर्थन करते हुए छात्रों ने मौखिक साक्षात्कार-30 में बताया है कि अध्यापक उनको हिन्दी का शिक्षण तेलुगु माध्यम से देते हैं । इनका प्रतिशत 60·62 है ।

यह सत्य है कि हिन्दी शिक्षण की किसी विधि को अकस्मात् छात्रों पर लागू नहीं की जा सकती बल्कि उसके अव्यवहारिक स्वीकृति में अध्यापक कक्षा में वातावरण का सृजन करना पडता है जिसके लिए अध्यापक अपने सामने निश्चित उद्देश्यों को रखना आवश्यक है ।

आन्ध्र प्रान्त में अध्यापक व्याकरण-अनुवाद पद्धति को अपनाने के कारण छात्रों को भाषा का व्यवहार करने का अवसर नहीं मिलता है इसके साथ साथ छात्रों का श्रवण कौशल विकसित नहीं होता है । छात्र निष्क्रिय श्रोता बने रहते हैं । शिक्षक को अत्याधिक बोलना पडता है । इसका परिणाम यह होता है कि छात्र कृत्रिम पुस्तकीय भाषा को सीख लेते हैं और भाषा के किसी कौशल पर अधिकार नहीं रखते हैं ।

आन्ध्र प्रान्त के छात्रों के सामने आनेवाली शिक्षण विधि संबंधी ये कारण भाषा अध्ययन में बाधक सिद्ध होते हैं ।

4. सहायक सामग्री की समस्या का अध्ययन

भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री के महत्व को आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है । शिक्षा प्रणाली को अधिक सशक्त बनाने, विषय को सुगमता से ग्रहण करने योग्य बनाने में सहायक सामग्री का विशेष महत्व है । आधुनिक भाषा मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा पद्धति को सरल एवं बोधगम्य बनाने के लिए अनेकानेक उपाय ढूँढने का प्रयत्न किया है । आधुनिक युग में पाठ्य-पुस्तक के साथ साथ अनेक सहायक साधनों के उपयोग पर बल दिया जा रहा है । प्राचीन शिक्षा पद्धति में गुरूजनों का श्रवण और पुस्तकों का अवलोकन मात्र था । परन्तु आज श्रव्य-दृश्य साधनों का उपयोग वैज्ञानिक ढंग से हो रहा है । कभी कभी यह डर भी लगता है कि अध्यापक का स्थान ये साधन न लें ।

सहायक साधनों को दृश्य-श्रव्य साधनों के रूप में विभाजित किया गया है । दृश्य साधन वे हैं जिनको छात्र आँखों से देखकर उनकी सहायता से सीख सकते हैं । उदाहरण – श्यामपट, मानचित्र, चित्र, एलबम, कार्टून चित्र विस्तारक यंत्र, मूक चित्र आदि । श्रव्य साधनों में ग्रामफोन, रेडियो आदि साधन आते हैं । चलचित्र, टेलीविजन, नाटक आदि को हम श्रव्य-दृश्य साधनों में ले सकते हैं ।

श्यामपट :

यह अध्यापक का प्राचीन एवं लभ्य साधन है इसकी सहायता से अध्यापक ग्राफ, रेखाचित्र, डाईग्राम आदि खींचकर पाठ को रोचक बना देता

है । इसके साथ साथ कठिन शब्दों के समझाने, परिभाषा एवं सारांश लिखने में तथा गृहकार्य देने में इसकी सहायता ली जाती है ।

मानचित्र तथा समाचार पत्रों से प्राप्त चित्रों को संग्रह कर भी इनकी सहायता से छात्रों को पुस्तकीय ज्ञान दिया जाता है । एलबम छात्र एवं अध्यापक दोनों के लिए उपयोगी है ।

प्रोजेक्टर विषय की भूमिका प्रस्तुत करने में उपयोगी है ।

नाटक सभी साधनों में प्राचीनतम साधन है । इसकी सहायता से छात्रों में बोलने, भाव प्रदर्शन एवं अभिनय का सामर्थ्य को बढ़ाने में सहायक है ।

चल-चित्र आदि साधनों से छात्रों में कल्पना और भाषा दोनों का विकास होता है । इन साधनों के द्वारा छात्रों का उच्चारण शुद्ध, स्पष्ट होता है । चलचित्र की सहायता से छात्र निश्चेष्ट रूप से भाषायी तत्वों को ग्रहण करते हैं । ' साइफर ' महोदय का कहना है कि जो शक्ति सहस्त्र शब्दों में नहीं है वह एक चलचित्र में है ।

उपर्युक्त उपकरणों के अतिरिक्त स्लाइड्स, फ्लैश कार्ड, पोस्टर, फोटोग्राफ फोनोग्राम, लिंग्वाफोन, सरस्वती यात्राएँ, केन्द्रीय ध्वनि व्यवस्था, संग्रहालय तथा पुस्तकालय भी भाषा सहायक साधनों के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखते है ।

आन्ध्र प्रान्त में अध्यापकों ने अध्यापक प्रश्नावली विश्लेषण संख्या-63 में हिन्दी शिक्षण को रोचक बनाने में सहायक सामग्री की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है । इन मतदाताओं का प्रतिशत 84.73 है ।

परन्तु आन्ध्र में पढ़ानेवाले हिन्दी अध्यापकों को सहायक साधनों का पूर्ण अभाव है । उनकी पाठशालाओं के ग्रन्थालयो मे हिन्दी पुस्तकें तथा पत्रिकाएँ प्राप्त नहीं होती हैं । इस विचार को अध्यापकों ने अध्यापक विश्लेषण संख्या-17 में प्रकट किये हैं । इनका प्रतिशत 80·92 है । यह प्रशासन संबंधी समस्या होने पर भी इसका घनिष्ट संबंध हिन्दी शिक्षण से है । मौखिक साक्षात्कार सूची-18 में भी 71·87 प्रतिशत छात्रों ने पाठशाला के ग्रन्थालयों में हिन्दी पुस्तकें प्राप्त न होने का उद्देश्य प्रकट किया है ।

इससे यह स्पष्ट होता है कि अध्यापक सहायक सामग्री, सहायक ग्रंथ एवं विभिन्न उपकरणों के महत्व को जानते है परन्तु यह साधन लभ्य न होने के कारण उनका प्रयोग नहीं कर पाते है ।

आन्ध्र के हिन्दी अध्यापक प्रश्नावली विश्लेषण संख्या -99 में यह स्वीकार किया है कि सहायक साधन पाठ को रोचक बनाने में ही नहीं बल्कि छात्रों के अवधान को एकाग्र करने में भी उपयोगी है । इस मत को 42·75 प्रतिशत अध्यापकों ने स्वीकार किया है ।

उपर्युक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष तक पहुँच सकते हैं कि सहायक सामग्री का अभाव छात्रों के भाषा अधिगम में बाधक सिद्ध हो रहा है । सहायक सामग्री के अभाव में छात्र :

(1) पाठ की ओर रुचि नहीं लेते है ।

(2) पाठ नीरस होता है । छात्र पाठ को सुनने की ओर उत्सुक नहीं रहते है ।

(3) नवीन यंत्र सामग्री के अभाव में छात्र भाषा सीखने में रुचि नहीं लेते है।

आन्ध्र प्रदेश सरकार को चाहिए कि प्रत्येक पाठशाला के लिए पर्याप्त सहायक सामग्री का प्रबंध करें ।

5 हिन्दी अध्यापक संबंधी समस्या का अध्ययन

शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है । प्राचीनकाल में भी इस महत्व को स्वीकार किया गया था । उन दिनों में अध्यापक को शिक्षा का केन्द्र एवं विद्याका भण्डार समझा जाता था । परन्तु आज शिक्षा शिशु केन्द्रित (Child centred Education.) हो गयी है । फिर भी अध्यापक के महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है ।

आदर्श अध्यापक का यह कर्तव्य होता है कि वह पाठशाला में शिक्षा का वातावरण बनाये रखे । छात्रों को प्रभावित करने के लिए अध्यापक स्वयं आदर्शवान बनें । अध्यापक का व्यक्तित्व, विषय का ज्ञान एवं शिक्षण विधि छात्रों को मुग्ध कर देता है । अध्यापक जिस विषय को पढाता है वह स्वयं उस विषय के प्रति रुचि रखें और उसको दिल और दिमाग से आत्मसात करें ।

इसके साथ ही साथ अध्यापक को बाल-मनोविज्ञान का ज्ञान रहें । शिक्षा के सामान्य सिद्धान्तों एवं उसकी प्रकृति से परिचित रखें । छात्र को दी जानेवाला ज्ञान इस पर निर्भर रहता है । अध्यापक में आत्मविश्वास एवं सहायक साधनों का उचित प्रयोग का ज्ञान रहना आवश्यक है ।

अध्यापक के इन गुणों को स्वीकार करते हुए राष्ट्रभाषा के अध्यापक पर कुछ विशेष जिम्मेदारी एवं कर्तव्य भी है ।

हिन्दी अध्यापक अपनी मातृभाषा की सीमा से उठकर राष्ट्र की सीमाओं को छूना चाहिए । वह एक ऐसी भाषा का शिक्षक है जो भारतीय भाषाओं की आत्मा के निकटतम रहती है । हिन्दी के माध्यम से प्रान्त की संकीर्णता से ऊपर उठकर भारत की समग्र सामाजिक संस्कृति का वाहक होना चाहिए । हिन्दीतर प्रान्तों में हिन्दी अध्यापक का एक राष्ट्रीय रूप होना चाहिए । वह भाषा के द्वारा भावैक्यता लाने में प्रयत्नशील होना चाहिए ।यह खेद के साथ कहना पडता है कि आज के हिन्दी अध्यापक को वह स्थान नहीं दिया गया जो एक अँग्रेजी अध्यापक को प्राप्त है ।

आन्ध्र प्रान्त के हिन्दी अध्यापकों की विश्लेषण सूची की उत्तर संख्या-।।0 में इस बात को स्वीकार किया है कि आन्ध्र प्रान्त में हिन्दी अध्यापकों की दशा ठीक नहीं है और अधिकारी भी हिन्दी अध्यापकों की आवश्यकताओं के प्रति ध्यान नहीं देते हैं । इन उत्तरदाताओं का प्रतिशत 68·70 है । यह तथ्य है कि जब अधिकारी हिन्दी विषय को अप्रमुख समझते हैं तो वे हिन्दी अध्यापकों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान कैसे दें ? अधिकारियों की यह प्रशासन नीति हिन्दी अध्यापकों में भाषा शिक्षण के प्रति नीरस भावना उत्पन्न करने में सहायक होगी । अन्य अध्यापकों के समान हिन्दी अध्यापक को आदर नहीं मिलने से हिन्दी अध्यापक में आत्मग्लानि की भावना आ जाती है और वह यह समझ बैठता है कि हिन्दी अध्यापक बनना एक अभिशाप है ।

आन्ध्र प्रान्त में हिन्दी अध्यापकों की संख्या बहुत ही कम है । वास्तव में देखा जाये तो संपूर्ण आन्ध्र प्रदेश में हिन्दी अध्यापकों की संख्या केवल 5, 362 ही है और उच्च प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या 6,000 है जिनमें हिन्दी अध्यापक नहीं हैं कुल ।2 लाख छात्र हिन्दी अध्ययन कर रहे हैं । केवल आन्ध्र प्रान्त में 288, 8 7, 73 छात्र हिन्दी पढ़ रहे हैं और 3574 हिन्दी अध्यापक उन्हें हिन्दी का शिक्षण दे रहे है । अभी भी आन्ध्र प्रान्त के लिए 732 प्रथम ग्रेड के

और 466 द्वितीय ग्रेड के हिन्दी अध्यापकों की आवश्यकता है । आन्ध्र और तेलंगाना क्षेत्रों में आन्ध्र प्रदेश सरकार हिन्दी पंडितों के वितरण एवं वेतन वृद्धि आदि में 2:1 प्रतिशत की नीति अपना रही है । इतना होने पर भी आन्ध्र प्रान्त के हिन्दी के हिन्दी अध्यापक तृप्त नहीं है और छात्र हिन्दी सीखने में कमजोर है ।

दूसरे अध्यापकों की तुलना में आन्ध्र प्रान्त के हिन्दी अध्यापक को अधिक काम करना पड़ता है उसे 6 वीं कक्षा से लेकर दसवीं तक पढ़ाना पड़ता है क्योंकि उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए द्वितीय ग्रेड हिन्दी पंडित की नियुक्ति सरकार ने नहीं की है । इनका काम प्रथम ग्रेड हिन्दी पंडित को, कभी कभी प्रथम ग्रेड हिन्दी पंडित का काम द्वितीय ग्रेड हिन्दी पंडित को करना पड़ता है । इस बात को दृष्टि में रखकर आन्ध्र प्रान्त के हिन्दी अध्यापक इस शोध कार्य की विश्लेषण उत्तर संख्या-80 में यह बात प्रकट की कि हिन्दी शिक्षण के प्रति सरकार का ध्यान कम है और सरकारें हिन्दी शिक्षण के विकास में किसी प्रकार की रुचि नहीं लेती है । इन उत्तरदाताओं का प्रतिशत 42·37 है ।

हिन्दी अध्यापकों की इस दयनीय स्थिति का प्रभाव उनके कक्षा शिक्षण पर होना संभव हैं ।

(1) छात्रों के प्रतिशत से अध्यापकों का प्रतिशत कम होने के नाते कक्षा में अनुशासन भंग होने की संभावना रहती हैं ।

(2) कक्षा में सहायक साधनों के अभाव में छात्र हिन्दी के प्रति रुचि नही लेते हैं ।

(3) छात्रों को निम्न कक्षाओं में हिन्दी विषय में उत्तीर्ण होने के लिए 75% प्रतिशत उपस्थिति पर्याप्त है । इसलिए उन्हें हिन्दी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है । हिन्दी अध्ययन के प्रति उनकी रुचि नहीं है ।

अध्यापकों की यह दयनीय स्थिति छात्रों के हिन्दी अधिगम में बाधक सिद्ध होता है ।

6 हिन्दी मूल्यांकन समस्या का अध्ययन :

आधुनिक शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का समुचित विकास करना है । छात्रों के शारीरिक मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं सौन्दर्यबोध संबंधी गुणों के उचित विकास में सहयोग देना ही आधुनिक शिक्षा का लक्ष्य है ।

प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य मानसिक, आध्यात्मिक एवं शारीरिक उन्नति का था । छात्र अपने गुरू के साथ रहकर इन सभी गुणों का प्राप्त करते थे । छात्र के गुणों का मूल्यांकन करने की सुविधा गुरू को तथा गुरू से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का भाग्य शिष्य को मिलता था । छात्र को गुरू के साथ रहकर वहाँ के स्वच्छन्द वातावरण में सब कुछ सीखने का मौका मिलता था । मुगलकालीन एवं अंग्रेजी शिक्षा ने मानसिक शिक्षा को अपना एकमात्र साधन मान लिया है । अंग्रेजी शिक्षा में शारीरिक उन्नति की ओर ध्यान नहीं दिया गया ।

आधुनिक काल में छात्रों की संख्या इतनी बढ़ गई हैं कि उनको सही शिक्षा देने की समस्या के साथ साथ मूल्यांकन की भी एक समस्या बन गई है ।

आधुनिक मूल्यांकन की दो पद्धतियाँ हैं । (1) परंपरागत पद्धति (2) मूल्यांकन पद्धति । वास्तव में मूल्यांकन का अर्थ उपलब्ध ज्ञान का शैक्षणिक मापन है ।

भाषा मूल्यांकन में छात्रों की बुद्धि गंभीरता, योग्यता, क्षमता, स्मरण शक्ति, प्रयोग, भाषा कौशल आदि का मूल्यांकन किया जा सकता है ।

परंपरागत परीक्षा पद्धति में लिखित ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता था । ये परीक्षाएँ बहुधा निबंधात्मक होती थी ।

निबंधात्मक परीक्षा में भाषा मूल्यांकन परीक्षा के रूप में छात्रों की ही शाब्दिक अभिव्यक्ति, साहित्यिक शैली तथा विचारों को प्रस्तुत करने की शैली का मूल्यांकन होता है । इससे मनुष्य का व्यक्तित्व एवं चिन्तन शक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है । भावों का स्वतंत्र रूप से प्रकट करने का मौका मिलता रहता है ।

परंतु इस पद्धति का प्रधान दोष यह है कि 10-11 प्रश्नों में से केवल 5 या 6 प्रश्न करने के होते हैं इसलिए छात्र परीक्षा के प्रश्नों को संभावित करके कंठस्थ कर लेते हैं और उनको परीक्षण में लिखते हैं इससे छात्रों के ज्ञान का पूर्ण मूल्यांकन करने का उद्देश्य सार्थक नहीं होता है ।

परंतु आधुनिक मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ होने के कारण अध्यापक को यह पता चलता है कि छात्र किन किन उद्देश्यों कीप्राप्ति करने में सफल रहा है और उनमें किन आवश्यक गुणों का होना आवश्यक है ।

भाषा का अध्यापक मूल्यांकन के द्वारा भाषा के विभिन्न कौशलों से प्राप्त ज्ञान की मात्रा का पता लगाता है । शैक्षणिक उपलब्धि की जाँच के लिए परीक्षण एक सर्वसामान्य विधि है । भाषा परीक्षण में परंपरागत विधि अधिक मात्रा में सहायक सिद्ध नहीं होती है ।

भाषागत इन परीक्षणों से अध्यापक छात्रों के विभिन्न कौशलों का परीक्षण करके यह जान लेता है कि छात्र भाषा अधिगम के किस पक्ष में कमज़ोर हैं । व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से छात्रों के सामने कौन कौनसी कठिनाइयाँ उपस्थित हो रही है । अध्यापक इन परीक्षणों के माध्यम से छात्रों के मानसिक स्तर का पता लगा लेता है और उसके अनुसार प्रभावकारी अध्यापन विधि का चयन करता है । अध्यापक प्रत्येक छात्र की प्रगति अन्य छात्रों की तुलना से जान लेता है ।

भाषा के मूल्यांकन में प्रवीणता परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण प्रमुख हैं इनकी सहायता से भाषा कौशलों का परीक्षण किया जाता है ।

उच्च माध्यमिक कक्षाओं को पढ़ानेवाले अध्यापक छात्रों के हिन्दी ज्ञान का मूल्यांकन करने में एस0 एस0 सी0 परीक्षा पद्धति का अनुकरण करते हैं । एस0 एस0 सी0 परीक्षा में के हिन्दी द्वितीय भाषा का प्रश्न-पत्र निबंधात्मक होता है और कभी कभी वस्तुनिष्ठ परीक्षण के रूप में भाषा के कुछ कौशलों का परीक्षण किया जाता है । वास्तव में यह परीक्षण छात्रों के विषय ज्ञान का मूल्यांकन करने हेतु लिया जाता है ।

अध्यापक प्रश्नावली के विश्लेषण उत्तर संख्या-43 के अनुसार सातवीं कक्षा में छात्र हिन्दी विषय में अनुत्तीर्ण होने पर भी उनको 8 वीं कक्षा में बिठाते हैं । इन प्रत्युत्तर अध्यापकों का प्रतिशत 72·90 है । इसका फल यह होता है कि छात्र हिन्दी सीखने में रुचि नहीं लेते हैं । अध्यापकों ने अपना प्रश्न विश्लेषण संख्या-78 में यह प्रकट किया है कि छात्रों को हिन्दी सीखने में रुचि नहीं है ।

आन्ध्र प्रान्त के छात्र अगर निम्न स्तरों में हिन्दी विषय में अनुत्तीर्ण हो तो अ उनको उत्तीर्ण इसीलिए माना जाता है कि एस0 एस0 सी0 में हिन्दी अंकों को कुल अंकों में नहीं मिलाया जाता है । इस मत को 58·01 प्रतिशत अध्यापकों ने अध्यापक उत्तर ~~विश्लेषण~~ विश्लेषण संख्या-74 में प्रकट किये हैं ।

इसीलिए आन्ध्र के अध्यापक हिन्दी में उत्तीर्ण होने के लिए 20% अंकों को पर्याप्त मानते हैं । यहाँ पर छात्रों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने की समस्या है । इनके सामने छात्रों को हिन्दी सिखाने का प्रश्न जागृत नहीं होता है ।इस मत को 57·63 प्रतिशत हिन्दी अध्यापकों ने विश्लेषण के उत्तर-20 में अपना मत प्रकट किया है ।

आन्ध्र प्रान्त के छात्र हिन्दी में उत्तीर्ण होने के लिए कक्षा की उपस्थिति प्रधान है । हिन्दी के अंक अप्रमुख हैं । इस मत को शत प्रतिशत अध्यापकों ने विश्लेषण संख्या-2। में स्वीकार किया है ।

उपर्युक्त मूल्यांकन विधान से आन्ध्र प्रान्त में हिन्दी की क्या स्थिति है और इसका प्रभाव छात्रों पर किस प्रकार पड़ता है इसकी कल्पना हम आसानी से कर सकते हैं ।

7 वीं कक्षा में हिन्दी विषय में अनुत्तीर्ण होने पर भी छात्रों को आठवीं कक्षा में बिठाना 8 वीं कक्षा के छात्रों के हिन्दी स्तर को एक रूप में गिरा देना है ।

कक्षा उपस्थिति पर किसी भी विषय में उत्तीर्ण मानना शैक्षणिक दृष्टि से बड़ा दोष माना जाता है ।

8 वीं कक्षा के स्तर पर विषय का मूल्यांकन किया जाता है भाषा का नहीं । इससे छात्र पाठ्य पुस्तक के विषय को सीखने का ही प्रयत्न करते हैं । भाषागत विशेषताओं के प्रति वे रुचि नहीं लेते हैं । इसीलिए इस स्तर पर छात्रों का भाषा स्तर कमज़ोर है ।

छात्रों की संपूर्ण उपलब्धि-परीक्षण में भाषा कौशलों में कम प्रतिशत अंक प्राप्त करना इस बात की साक्षी है ।

निष्कर्ष : आन्ध्र प्रान्त के 8 वीं कक्षा में हिन्दी द्वितीय भाषा के रूप में पढ़नेवाले छात्रों का भाषा अधिगम संबंधी समस्याओं और उनमें बाधक होनेवाली कठिनाइयों के कारणों का अध्ययन अध्यापकों से प्राप्त उत्तरों, छात्रों की भाषा उपलब्धि परीक्षण और छात्रों के मौखिक साक्षात्कार के उत्तर के समन्वय से किया गया है । आगामी अध्याय में इन कठिनाइयों को निवारण करने के उपायों पर प्रकाश डाला गया है ।

***

सहायक ग्रन्थ-सूची

1 केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा "गवेषणा" मार्च 1966 पृ0 210

2 पाण्डुरंगराव, आई0 "गवेषणा" केन्द्रीय हिन्दी संस्थान ,आगरा, मार्च 1966 अंक 7, पृ0 31

3 शिवराम शर्मा "हिन्दी तेलुगु व्याकरणों का तुलनात्मक अध्ययन, आन्ध्र प्रदेश साहित्य, अकादमी, हैदराबाद, जुलाई 1967, पृ0 16

4 शिवराम शर्मा "हिन्दी तेलुगु व्याकरणों का तुलनात्मक अध्ययन, आन्ध्र प्रदेश साहित्य अकादमी, हैदराबाद, जुलाई 1967, पृ0 14

....